इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2012—पौष 7, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. ई-1-464-2011-5-एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को आवंटन वर्ष 1982 के भाप्रसे अधिकारियों के प्रमुख सचिव ग्रेड में पदोन्नति की उपयुक्तता के लिये दिनांक 14 फरवरी, 2007 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में आदेश जारी होने की तिथि से प्रमुख सचिव ग्रेड में पदोन्नत करता है.

(2) यह पदोन्नति श्री मोहन्ती द्वारा उनके विरुद्ध राज्य शासन द्वारा आरोप-पत्र जारी किये जाने और विभागीय जांच संस्थित करने के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 267/2010 पर अधिकरण के अंतिम निर्णय, विभागीय जांच के अंतिम निर्णय, किसी अन्य न्यायालय एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अपराध क्रमांक 25/2004 के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा दिनांक 28 जून 2011 को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी.

(3) पदोन्नति उपरांत श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982) को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि. क. अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(4) उपरोक्तानुसार श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 1(ए)40-2003-ब-2-दो.—श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, (1996) उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम को दिनांक 17 से 28 दिसम्बर 2012 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "अहमदाबाद (गुजरात)" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1.	श्री एस. के. सक्सेना	—	स्वयं
2.	श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना	—	पत्नी
3.	श्री मोहित सक्सेना	—	पुत्र
4.	श्री शोमित सक्सेना	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम का कार्य डॉ. रमन सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ-साथ, संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एस. के. सक्सेना उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. के. पाण्डे, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-6-7-2011-अट्ठावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी 2012-13 के लिये

संलग्न सूची अनुसार आलू तथा प्याज फसलों के लिये जिला/तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 मौसम रबी हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीलें

फसल-आलू

स. क्र.	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)
1	शाजापुर	1. शाजापुर
		2. गुलाना
		3. मो. बड़ोदिया
2	देवास	4. देवास
		5. हाटपिपल्या
		6. सोनकच्छ
3.	इन्दौर	7. इन्दौर
		8. महू
		9. सांवेर
		10. देपालपुर
4.	सिंगरौली	11. सिंगरौली
5.	सागर	12. सागर
6.	उज्जैन	13. उज्जैन
		14. तराना
7.	धार	15. धार

फसल-प्याज

स. क्र.	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)
1	खण्डवा	1. पंधाना
		2. खण्डवा
2	सागर	3. सागर
3	भोपाल	4. हुजूर
4	शाजापुर	5. शुजालपुर
		6. गुलाना
		7. शाजापुर
5	देवास	8. देवास
		9. बागली
6	उज्जैन	10. उज्जैन

आयुक्त सह-संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम-3(3) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कुटुम्ब न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ता का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम-3(3) के अंतर्गत होगा :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. 17(ई)-49-2009-इक्कीस-ब(एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17-(ई)-49-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 सितम्बर 2010, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अ. क्र.	कुटुम्ब न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़	टीकमगढ़	राजस्व तहसील टीकमगढ़ की क्षेत्रीय सीमाएं.".

No. 17 (E)-49-2009-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court, hereby makes the following amendment in this department's notification No. 17(E)-49-2009-XXI-B(1) dated 3rd September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for serial Number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of Family Court	Head Quarters	Area to which the Jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Family Court Tikamgarh.	Tikamgarh	Territorial limits of Revenue Tehsil, Tikamgarh.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी) 15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री कृष्ण कुमार थापक पुत्र स्व. श्री आर. के. थापक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक होशंगाबाद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री कृष्ण कुमार थापक की जन्म तिथि 13 जुलाई 1956 तेरह जुलाई उन्नीस सौ छप्पन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 13 जुलाई 2018 तेरह जुलाई दो हजार अट्ठारह को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी) 29-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दीपक कुमार कुर्रे पुत्र श्री रघुनाथ कुर्रे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री दीपक कुमार कुर्रे की जन्म तिथि 24 फरवरी 1969 चौबीस फरवरी उन्नीस सौ उन्हत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24 फरवरी 2031 चौबीस फरवरी दो हजार इकतीस को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी)-36-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री मदन मोहन द्विवेदी, अधिवक्ता को जिला बालाघाट में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी)-37-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता को जिला सीहोर (म.प्र.) में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. डी-15-25-2012-चौदह-3.—

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
   म. प्र. शासन,
   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल.
2. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त,
   म. प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
   माननीय मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
   मंत्रालय, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
   म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल.
5. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
   पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
6. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड)
   जहांगीराबाद, भोपाल.
7. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.
8. क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
   भारतीय खाद्य निगम,
   चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

विषय.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को समर्थन मूल्य पर प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के संदर्भ में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत् निर्देश.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (यथा मंडी अधिनियम) की धारा 31 के अंतर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु अनिवार्यता का उल्लेख है तथा अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज को मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से हटाये जाने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है.

(2) मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3)(1)(एक) एवं 19 की उपधारा (3)(1)(दो) के अनुसार निर्दिष्ट मंडी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर एक से अधिक बार उद्ग्रहित नहीं की जायेगी.

(3) मंडी अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक (क) (पांच) में प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा केन्द्र शासन या राज्य शासन की प्राधिकृत संस्था से लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने के लिये क्रय की गयी अधिसूचित कृषि उपज पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, का उल्लेख है.

(4) राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि जिन्स क्रय करने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया अन्तर्गत मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को प्राधिकृत संस्था के रूप में नियुक्त किया जाता है.

(5) राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के क्रय का कार्य प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को अपना एजेन्ट नियुक्त कर किया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र की संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के प्रावधान अनुसार लायसेंस प्राप्त कर उपार्जन का यह कार्य सम्पादित करती है.

(6) वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन का कार्य संपादित होता है, जिनके द्वारा उपार्जित स्कंध को राज्य सरकार की संस्था यथा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को हस्तांतरण कर दिया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा उपार्जित कृषि उपज के स्कंध को सेन्ट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया जाता है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लोक वितरण पद्धति अंतर्गत वितरण हेतु उचित मूल्य के दुकानदारों को या ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत नीलामी के माध्यम से इसे बेचा जाता है. प्रकरण अंतर्गत प्राधिकृत शासकीय संस्थाओं के द्वारा उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान संबंधित मंडियों को किया गया है परन्तु उपार्जित स्कंध को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की संस्था को हस्तांतरण करते समय अनुज्ञापत्र की प्राप्ति नहीं की गई है. इस कारण विशेषकर जब ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत अधिसूचित

कृषि जिन्स का विक्रय होता है तो संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी फीस भुगतान का सत्यापन न कर पाने से उपज क्रेता को अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. यहां यह भी लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा मंडी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार हेतु लायसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया है.

(7) उपरोक्त पैरा-6 में उल्लेखित स्थिति पर मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज उपार्जन का कार्यक्रम अति वृहद होता है जिसे मानसून आदि को दृष्टिगत रखते हुए एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना भी अनिवार्य होता है. उपार्जन कार्यक्रम में चूंकि प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियां एवं विभाग सहभागी होकर कार्य करते हैं, अत: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) तथा मंडी समितियों की उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधान अनुसार उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन, भण्डारण, स्कंध स्थानांतरण आदि के लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्ति की जाना व्यवहारिक नहीं हो पाता है.

(8) चूंकि समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन केन्द्र सरकार के निर्देशों राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता है और इस पर देय मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संस्थाओं द्वारा एकल बिन्दु पर प्राप्त हो रहा है परन्तु उपरोक्त उल्लेख अनुसार अन्य प्रक्रियाओं के पालन में ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि मंडी अधिनियम की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्राधिकृत संस्थाओं हेतु सरल और सहज बनाया जाये.

(9) अत: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को यह निर्देशित किया जाता है कि—

9(अ).—केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज क्रय किये जाने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी को या इनके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 एवं 32 अन्तर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस प्राप्त करना होगा परन्तु वे प्रतिभूतियों से मुक्त होगी.

9(ब).—समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय उपरान्त भण्डारण हेतु परिवहन, हस्तांतरण/स्थानांतरण हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था, एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक संबंधित मंडी को प्रत्येक माह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि जिसमें संबंधित मंडी के कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र अवधि में उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सीवार कितनी मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का उपार्जन किया गया, उपार्जित कृषि उपज का मूल्य तथा उस पर देय मंडी फीस, निराश्रित शुल्क एवं भुगतान की गई मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क का विवरण अनिवार्यत: अंकित होगा. इस प्रमाण-पत्र को कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र के रूप में मान्य किया जायेगा और मंडी फीस के भुगतान एवं स्कंध के परिवहन, प्राप्ति एवं हस्तांतरण हेतु यह प्रमाण रूप में मान्य होगा तथा इसके लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा पृथक् से मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौ अनुसार अनुज्ञा-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

9(स).—यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी अधिसूचित कृषि उपज का राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ. एम. एस. एस.) में विक्रय किया जाता है तो संबंधित मंडी समिति को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रेषित रिलीज आर्डर (मूलप्रति) में यह प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा कि संबंधित अधिसूचित कृषि उपज का किस विपणन वर्ष में प्रदेश में उपार्जन हुआ है तथा इस पर निर्धारित मंडी फीस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा उपार्जन हेतु प्राधिकृत किस संस्था के द्वारा किया गया है. इस रिलीज ऑर्डर को मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र मान्य करते हुए संबंधित कृषि उपज मंडी समिति जिसे यह प्रेषित किया गया है, के द्वारा उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौं में अनुज्ञा-पत्र जारी किया जायेगा.

उपरोक्त निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 तथा रबी विपणन वर्ष 2010-11 से आरम्भ होते हुए आगामी वर्षों में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के लिये लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के त्रिपाठी, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-11-14-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भोपाल	हुजूर	नगर निगम कार्यालय हेड ऑफिस बना है	सदर मंजिल रखरखाव	1839/1326	7.72 एकड़	नगर निगम के कब्जे में	नहीं है

क्र. एफ-11-16-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भोपाल	हुजूर	ईदगाह हिल्स	बेनजीर बिल्डिंग	77	3.13 एकड़	म. प्र. शासन नजूल भूमि	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-25-63-2010-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-15-90-दस-3, दिनांक 30 सितम्बर 1992 में आंशिक संशोधन करते हुये, बालाघाट वन वृत्त के उत्तर/दक्षिण/पश्चिम उत्पादन वनमंडलों में से पश्चिम उत्पादन वन मंडल बालाघाट को समाप्त कर उत्पादन वनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन उप वनमंडल के नाम (मुख्यालय)	उत्पादन परिक्षेत्रों एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन उप वन मंडलों की सीमाओं का विवरण	उत्पादन वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालाघाट	बालाघाट	1. उत्तर उत्पादन बालाघाट (बालाघाट)	1. उकवा उत्पादन (बालाघाट)	1. दक्षिण लामता (लामता) 2. उत्तर लामता (लामता) 3. उकवा (उकवा) 4. उकवा डिपो (उकवा) 5. लामता डिपो (लामता)	**उत्तर**—वन विकास निगम लामता परियोजना बालाघाट की सीमा. **पूर्व**—बैहर उत्पादन उप वन मंडल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**—दक्षिण उत्पादन वन मण्डल की उत्तरी सीमा एवं बैनगंगा नदी. **पश्चिम**—बैनगंगा नदी एवं लामता परियोजना वनमंडल बालाघाट की सीमा.	**उत्तर**—मंडला जिला कान्हा नेशनल पार्क एवं बफर जोन वन मंडल की सीमा. **पूर्व**—छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. **दक्षिण**—दक्षिण बालाघाट उत्पादन वन मंडल की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**—दक्षिण बालाघाट उत्पादन वन मंडल की पूर्वी सीमा एवं सिवनी जिले की सीमा.
				2. बैहर उत्पादन (बैहर)	1. पूर्व बैहर (बैहर) 2. पश्चिम बैहर (बैहर) 3. बिरसा सालेटेकरी (बिरसा) 4. बैहर डिपो (बैहर)	**उत्तर**—वन विकास निगम लामता परियोजना बालाघाट, मंडला जिला कान्हा नेशनल पार्क एवं बफर जोन वन मंडल की सीमा. **पूर्व**—छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. **दक्षिण**—उकवा उप वन मण्डल उत्पादन एवं लांजी उप वन मंडल उत्पादन की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**—उकवा उप वनमंडल उत्पादन एवं दक्षिण उत्पादन पूर्वी सीमा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. दक्षिण उत्पादन वन मंडल बालाघाट (बालाघाट)	1. बालाघाट (बालाघाट)	1. बालाघाट (बालाघाट) 2. लौगूर (लौगूर) 3. वारासिवनी (वारासिवनी) 4. गर्रा डिपो (गर्रा)	**उत्तर**—उकवा उत्पादन उप वन मंडल की दक्षिण सीमा. **पूर्व**—उकवा उत्पादन उप वन मंडल एवं बैहर उत्पादन उप वनमंडल बालाघाट की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**—किरनापुर उत्पादन उप वन मंडल की उत्तरी सीमा एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा. **पश्चिम**—सिवनी जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा.	**उत्तर**—सिवनी जिले एवं उत्तर उत्पादन वन मंडल बालाघाट की दक्षिणी सीमा. **पूर्व**—छत्तीसगढ़ राज्य एवं उत्तर बालाघाट उत्पादन वन मंडल की दक्षिण पश्चिमी सीमाएं. **दक्षिण**—महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमा. **पश्चिम.**—सिवनी जिला की पूर्वी सीमा.
				2. लांजी (लांजी)	1. किरनापुर (किरनापुर) 2. हट्टा (हट्टा) 3. पूर्व लांजी (लांजी) 4. पश्चिम लांजी (लांजी) 5. लांजी डिपो (लांजी)	**उत्तर**—बालाघाट उत्पादन उप वन मंडल की दक्षिण सीमा. **पूर्व**—उकवा उत्पादन उप वन मंडल की पश्चिमी सीमा एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. **दक्षिण**—बाघ नदी एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा. **पश्चिम**—बालाघाट उत्पादन उप वन मंडल की पूर्वी सीमा.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-25-63-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-63-2010-दस-3, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 20th December 2012

No. F 25-63-2010-X-3.—In exercise of the Powers vested with Government of Madhya Pradesh the West production Division Balaghat is hereby abolished and Production Divisions of Balaghat forest circle are reorganised by partially amending the notification No. F 25-15-90-X-3, dated 30th September 1992 of Madhya Pradesh Government forest department as under :—

S. No.	Name of Forest Circle	District	Name of Production Forest Division (Head Quarter)	Name of Production sub Division (Head Quarter)	Included Production Ranges & Depot (Head Quarter)	Descriptions of Boundaries of Productions Sub Divisions	Descriptions of Boundaries of Productions Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Balaghat	Balaghat	North Production Division Balaghat (Balaghat)	1. Ukwa Production (Balaghat)	1. South Lamta (Lamta) 2. North Lamta (Lamta) 3. Ukwa (Lamta) 4. Ukwa Depot (Ukwa) 5. Lamta Depot (Lamta)	**North**—Boundary of Van Vikas Nigam Lamta Project Balaghat. **East**—Western boundary of Baihar Production sub-division & Western boundary of South production division. **South**—Northern boundary of south production division & Vainganga river. **West**—Vainganga river & boundary of Lamta project division.	**North**—Mandla district boundary of kanha national park & buffer zone division Mandla. **East**—Boundary of Chhattisgarh State. **South**—Northern boundary of south production division Balaghat. **West**—Eastern boundary of south production division Balaghat & boundary of Seoni district.
				2. Baihar (Baihar)	1. East Baihar (Baihar) 2. West Baihar (Baihar) 3. Birsa Saletakari (Birsa) 4. Baihar Depot (Baihar)	**North**—Boundary of Van Vikas Nigam Lamta Project division Balaghat Mandla district & Kahana national park buffer zone division. **East**—Boundary of Chhatisgarh state. **South**—Northern boundary of Ukwa production sub division and Lanji Production sub division.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						West—Eastern boundary of Ukwa Production sub division.	
			2. South production division Balaghat (Balaghat)	1. Balaghat (Balaghat)	1. Balaghat (Balaghat) 2. Lagur (Lagur) 3. Varaseoni (Varaseoni) 4. Garra Depot (Garra).	**North**—Southern boundary of Ukwa production sub division Balaghat. **East**—Western boundary of Ukwa production sub division & Baihar production sub division Balaghat. **South**—Northern boundary of kirnapur production sub division Balaghat & Maharastra state boundary. **West**—South-East boundary of Seoni district.	**North**—Southern boundary of Seoni district & north production division. **East**—South-west boundary of Chhattisgarh state & North production division Balaghat. **South**—Northern boundary of Maharastra state. **West**—Eastern boundary of Seoni district.
				2. Lanji (Lanji)	1. Kirnapur (Kirnapur) 2. Hatta (Hatta) 3. East Lanji (Lanji) 4. West Lanji (Lanji) 5. Lanji Depot (Lanji)	**North**—Southern boundary of Balaghat Production Sub Division Balaghat. **East**—South-West boundary of Ukwa Production Sub division & Chhattisgarh state. **South**—Baghanadi & Maharastra state boundary. **West**—Eastern boundary of Balaghat Production Sub division.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASHANT KUMAR, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1968.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री दिनेश बैरसिया** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री दिनेश बैरसिया** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री दिनेश बैरसिया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री दिनेश बैरसिया** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर निवास न करने के कारण, अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 11 सितम्बर 2012 को प्रकाशित कराके तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री दिनेश बैरसिया** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री दिनेश बैरसिया** को नोटिस स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 11 सितम्बर 2012 तामील कराया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 सितम्बर 2012 में लेख किया है कि नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के उपरान्त **श्री बैरसिया** दिनांक 12 सितम्बर 2012 को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर मूल निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर मय व्हाउचर के प्रस्तुत किया है, किन्तु विलम्ब के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है. अत: उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री बैरसिया के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत न करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने की अभिमत प्रस्तुत किया है.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री दिनेश बैरसिया** को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी **श्री दिनेश बैरसिया** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री दिनेश बैरसिया** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने में का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री दिनेश बैरसिया** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर** जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1969.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री प्रसन्न कुमार जैन** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री प्रसन्न कुमार जैन** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री प्रसन्न कुमार जैन** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री प्रसन्न कुमार जैन** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस की तामीली दिनांक 15 सितम्बर 2011 को कराई गई. कारण बताओ नोटिस में **श्री प्रसन्न कुमार जैन** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री प्रसन्न कुमार जैन** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी से आयोग में प्राप्त अभ्यावेदन के संबध में कलेक्टर का अभिमत प्राप्त हुआ है कि **श्री प्रसन्न कुमार जैन** के द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2011 में लेख किया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करा दिया था, किन्तु कार्यालय द्वारा पावती नहीं दी गई इस संबंध में कार्यालयीन द्वारा सूचना पत्र क्रमांक 863 दिनांक 11 जुलाई 2012 को जारी कर जानकारी चाही गई कि जिला निर्वाचन कार्यालय में किस अधिकारी/कर्मचारी को अपना व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है समक्ष में उपस्थित होकर बताएं. **श्री प्रसन्न कुमार जैन** द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री प्रसन्न कुमार जैन** को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई. अभ्यर्थी **श्री प्रसन्न कुमार जैन** उक्त दिवस को व्यक्गित सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. लेकिन सूचना पत्र की तामीली उपरान्त अभ्यर्थी **श्री जैन** ने अपना अभ्यावेदन तथा मूल निर्वाचन व्यय लेखे रजि. डाक से आयोग को प्रेषित किये हैं तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे समक्ष में उपस्थित नहीं हो सके हैं. लेकिन विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने एवं स्वास्थ्य खराब होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित नहीं किया है. यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रेषित अभ्यावेदन में अभ्यथी **श्री प्रसन्न कुमार जैन** ने लेख किया है कि व्यय लेखे जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दिया था, किन्तु कार्यालय द्वारा पावती नहीं दी गई, इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय ने उनसे यह जानकारी चाही कि अभ्यर्थी ने किस अधिकारी/कर्मचारी को अपना व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है समक्ष में उपस्थित होकर बताएं. इस संबंध में अभ्यर्थी **श्री प्रसन्न कुमार जैन** द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया. अत: दिनाक 15 नवम्बर 2012 को आयोग में प्राप्त मूल निर्वाचन व्यय लेखे से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने व्यय लेखे पूर्व में जमा नहीं किये तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं होने संबंधी कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री प्रसन्न कुमार जैन** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री प्रसन्न कुमार जैन** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1970.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री नफीस अहमद पुत्र हमीद अहमद** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री नफीस अहमद** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री नफीस अहमद** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री नफीस अहमद** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री नफीस अहमद** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री नफीस अहमद** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी **श्री नफीस अहमद** द्वारा आयोग में निर्वाचन व्यय लेखे प्रेषित किये गये जो कि आयोग में दिनांक 3 अक्टूबर 2011 को प्राप्त हुए. अभ्यर्थी से प्राप्त उक्त व्यय लेखे के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 8 अगस्त 2012 में लेख है कि ''**श्री नफीस अहमद** द्वारा प्रेषित मूल निर्वाचन व्यय लेखा अनुसार व्हाउचर संलग्न है किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के संलग्न शपथ पत्र प्रोफार्मा-ग किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है. उपरोक्त खामियों की पूर्ति कराने के लिये अभ्यर्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 864, दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन **श्री नफीस अहमद** द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर खामियों की पूर्ति नहीं की गई, न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री नफीस अहमद** को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री नफीस अहमद** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री नफीस अहमद** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री नफीस अहमद पुत्र हनीफ अहमद** को

इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1971.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)**, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अत: अभ्यर्थी को दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि—''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 23 फरवरी 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी ने आयोग को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन दिनांक 3 मार्च 2012 के संलग्न व्यय लेखा रजिस्टर की छायाप्रति प्रेषित की जाकर, अपने अभ्यावेदन में लेख किया है कि कुछ जरूरी कारण से भोपाल नहीं आ सकता.

अभ्यर्थी से प्राप्त व्यय लेखे की छायाप्रति के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 8 अगस्त 2012 में लेख है कि—''**श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** द्वारा प्रेषित निर्वाचन व्यय लेखा की छायाप्रति प्रस्तुत की है मूल व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 862, दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया, अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल** द्वारा मूल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है. व्यय लेखे में अंकित प्रविष्टि अनुसार व्हाउचर भी संलग्न है, प्रोफार्मा-ग दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा अभिप्रमाणित है किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में इस कार्यालय को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.'' अत: उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाने संबंधी अपना अभिमत प्रस्तुत किया है.

अत: आयोग द्वारा पुन: विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री विकास अग्रवाल (नटराज)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 9391-3468-अका-विपप्र-2012 **संशोधित अधिसूचना.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न-पत्र प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7974-3468-अका-विपप्र-2012, दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. रश्मी गवली, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, अंकित है के स्थान पर अब **कु. रेशम गवली,** सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, पढ़ा जाए.

क्र. 9387-3465-अका-विपप्र-2012-**संशोधित अधिसूचना.**—राज्य शासन द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी, सी एवं द्वितीय विषय में, सम्पन्न परीक्षा की अधिसूचना क्रमांक 9018-3465-अका. विपप्र-2012 दिनांक 29 नवम्बर 2012 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, आदेश क्रमांक एफ 3-54-98-दो ए (3), दिनांक 19 मार्च, 1999 के बिन्दु क्रमांक "5" में दिये गये प्रावधान अनुसार ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री दयाराम मिश्र, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश (जिला दण्डाधिकारी)

होशंगाबाद, दिनांक 6 सितम्बर 2012

पत्र क्र. 12092-सां.लि.-2012.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, के पत्र क्रमांक एफ-2 (क)-9-08-बी-3-दो-दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं.

शासन द्वारा देहात थाना-होशंगाबाद के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने तथा सचिव, म. प्र. शा. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-13-78-11-बी-3-दो दिनांक 29 जून 2012 से थाना देहात, होशंगाबाद हेतु पदों की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित ग्राम देहात थाना, होशंगाबाद में सम्मिलित किये जा रहे हैं :—

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(1)	(2)
1	मालाखेड़ी	21	उन्दाखेडी
2	रायपुर	22	बाईखेडी
3	निमसाडिया	23	देशमोहनी
4	जासलपुर	24	बमुरिया
5	बांद्राभान	25	पतलईखुर्द
6	डोंगरवाड़ा	26	पवारखेड़ा
7	ब्यावरा	27.	फेफरताल
8	रोहना	28	टुगारिया
9	पॉजराकलां	29	बुधवाड़ा
10	बन्डुआ	30	हासलपुर
11	रंढाल	31	पर्रादेह
12	बडोदियाकलां	32	अंधियारी
13	पलासडोह	33	देवलाखेड़ी
14	पलासी	34	चन्द्रपुरा
15	रिझोड़ा	35	निटाया
16	खेडला	36.	नौहर
17	कुलामाड़ी	37	बडोदियाखुर्द
18	आगराकलां	38	खोजनपुर
19	पथोडी	39	रसूलिया
20	बम्होरीखुर्द	40	हाउसिंग बोर्ड (होशंगाबाद)

राहुल जैन, कलेक्टर एवं उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-1031.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर या ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्रफल			
			खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	मसूदा	290	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी.	बिलरऊ दिनारा पोषक नहर निर्माण हेतु.
			292	0.22		
			448	0.29		
			450	0.05		
			460	0.02		
			498	0.01		
			501	0.27		
			502	0.40		
			506	0.14		
			507	0.36		
			508	0.27		
			524	0.23		
			532	0.55		
			533	0.02		
			535	0.40		
			536	0.23		
			537	0.10		
			538	0.01		
			542/1	0.03		
			503	0.01		
			योग . .	3.68		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पीछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 01-12-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	बैंनीपुरा	0.863	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सबलगढ.	बारदा नाला परियोजना की मुख्य नहर की 1 एल ए माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा/प्लान भू-अर्जन अधिकारी, विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. 9496-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—ढोकडोह ब. नं.-174 प.ह.नं.-53 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.036 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	ढोकडोह जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. भूमि संपादन-2012—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	4.370	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत पार्किंग एण्ड एप्रोच टू पार्किंग फ्लाय ओवर हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 1299-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	चिखल्दा	671.94	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट. — भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1305-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	खापरखेडा	399.04	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट. — भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1311-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	बाजडीखेडा	49.08	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पेरखड़	133.42	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार.	सरदार सरोवर परियोजना के डूब से प्रभावित होने से.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयनीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1566-12-पत्र क्र. . . .भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	0.270	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .-12-पत्र-क्र. 1567-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कोरवारा	0.018	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1613-12-पत्र क्र. . . .भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कंदहली	5.677	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
		बंदरहा	11.360		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कुक्सी रैयत	निजी कृषि भूमि 6.83 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बेड़ियाव	1.11 भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सीवर	0.86 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भागवानपुरा	1.98 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	बलदुआडोंगरी	कृषि भूमि रकबा 0.36 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बंजारी	3.60 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	रिछीमाफी	कृषि भूमि रकबा 3.83 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सेल्दामाल	कृषि भूमि रकबा 1.64 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गुलगांव रैय्यत	13.51 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पुरनी	10.38 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बोरखेड़ाकलॉ	कृषि भूमि रकबा 3.83 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बेढ़ानी	कृषि भूमि रकबा 0.56 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बिजौरामाफी	0.74 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चिकटीखाल	कृषि भूमि रकबा 4.01 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	चारखेड़ा रैयत	निजी कृषि भूमि 10.88 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चांदेल	कृषि भूमि रकबा 9.34 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सेमरूढ़ रैयत	निजी कृषि भूमि 25.22 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	डंठा	निजी कृषि भूमि 0.75 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	नंदाना	निजी कृषि भूमि 3.92 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	टिटवास	निजी कृषि भूमि 17.27 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 3516-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु.	लोंहदवार	3.41	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की लोंहदवार माइनर की सब-माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3518-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मढ़ी पैपखार	4.03	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक नहर की मढ़ी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3520-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	5.56	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर की माइनर नं. 7, एवं माइनर नं. 5 की सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3522-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सूरा कोठार	5.31	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक नहर की सूरा माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3524-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया कोठार	0.2	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक नहर की सूरा माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 5925-क्यू-1-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	ढ़ावलामनोहर अंत्रालिया	0.83 1.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	ढ़ावलामनोहर तालाब (पूरक प्रकरण).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 13074-75-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	बंदा	16.988	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
		योग . .	16.988		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13076-77-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	उभापान	2.671	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	जूनापानी तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
		पिपल्या बिजारेल	15.584		
		कुल . .	18.255		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13078-79-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	माचलपुर	45.712	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
		योग . .	45.712		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13080-81-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	डोब	32.945	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
		योग . .	32.945		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 13082-83-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरूप सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	गीलाखेड़ी	10.800	उद्योग आयुक्त	औ. क्षेत्र हेतु बाईपास एप्रोच मार्ग एवं क्षेत्र विस्तार हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 134-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	3.40	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रशीदपुर शाखा की उपशाखा नहर की एम-4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
		योग. .	3.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 135-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुहिया	1.71	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग-क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर नहर की एम-3 माइनर के निर्माण हेतु.
		योग. .	1.71		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 2011-12-10688.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	बाकुड	1.586	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	बाकुड जलाशय के डूब क्षेत्र से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष 2011-12-11184.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	माली सिलपटी	2.439	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 अ-82-वर्ष 11-12-11185.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	गौनापुर	1.173	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 11-12-11186.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	जामपानी	2.206	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 11-12-11187.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	सिलपटी	1.085	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 11-12-11188.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	मौखा माल	1.301	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 11-12-11189.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	हरदू	61.428	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 11-12-11190.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	मौखा रै.	18.853	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 11-12-11191.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	पौसेरा	2.925	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 11-12-11192.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	पारू	1.373	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	देशावाड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 11-12-11193.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	देशावाड़ी	43.564	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	देशावाड़ी जलाशय एवं स्पील चैनल तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 87-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—दयेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.29 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
661	1.240	0.33
671	0.360	0.13
618	1.180	0.29
717	0.350	0.02
719	0.610	0.12
617	0.370	0.15
615	0.800	0.02
606	2.120	0.40
607	0.240	0.04
609	0.250	0.13
602	0.360	0.04
603	1.270	0.40
601	0.190	0.05
662	0.600	0.01
653	0.340	0.01
922	2.630	0.13
610	0.660	0.02
936	0.330	0.13
937	0.530	0.15
935	1.190	0.30
939	0.740	0.24
940	0.360	0.02
941	0.700	0.23
950	0.310	0.16
957	0.220	0.04
959	0.220	0.06
961	0.330	0.07
960	1.680	0.25
962	0.640	0.13
728	0.590	0.22
726	0.460	0.17
725	1.050	0.35
734	0.150	0.01
735	0.710	0.05
718	0.600	0.15
608	0.270	0.16
616	0.430	0.16
958	0.440	0.12
948	0.540	0.05
722	1.010	0.25
949	0.250	0.01
669	1.580	0.50
676	1.280	0.01
600	0.410	0.01
	योग :	6.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—हीरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.930 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
157	0.940	0.010
168	–	0.140
169	0.220	0.070
170	1.270	0.030
175	0.620	0.130
176	0.570	0.070
177 मि 1/	0.210	0.170
1771मि/2	0.570	–
179	0.570	0.100
180	0.980	0.030
234	2.800	0.160
262	0.400	0.090
263	0.900	0.030
264/मि 1	0.920	0.220
264/मि 2	0.250	–
265	0.620	0.100
267	0.480	0.200
269	1.260	0.060
366	0.640	0.130
367	0.570	0.150
370	1.330	0.040
	योग :	1.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 80-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—सोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.065 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
106	2.174	0.148
259	0.783	0.084
126	0.261	0.042
127/1	0.481	0.209
127/2	0.481	–
153/1	0.052	0.052
153/2	0.063	–
130	0.073	0.011
154	0.314	0.011
160	0.418	0.418
161	0.261	0.084
212	0.105	0.031
213	0.094	0.031
221	0.261	0.105
219	0.115	0.052
737	3.334	0.220
739/1	1.505	0.063
1097	0.763	0.042
248	0.742	0.011
249	0.543	0.136
250	0.334	0.011
250	0.721	0.052
254	0.449	0.116
283	0.042	0.031
284	0.523	0.136
1278	0.136	0.021
258	0.188	0.063
275	0.261	0.136
276	0.700	0.011
282	0.700	0.031
291	0.428	0.125
294	1.484	0.241
300/1	1.014	0.334
300/2	1.014	–
300/3	1.421	–
689	0.303	0.063
690/2	1.442	0.011
691/1	1.369	0.168
691/2	0.063	–
693/1/क	0.031	0.011

(1)	(2)	(3)
697/1	0.199	–
–	–	–
693/1ख	0.052	–
697/2	0.157	0.125
693/1 ग	0.021	–
697/3	0.146	–
700/मि.1	1.762	0.073
700/मि 2	2.200	–
702	2.623	0.418
731	0.157	0.011
1109/2	0.836	–
735/1	0.846	0.251
735/2	0.836	–
1099	0.115	0.03
1100	0.072	0.063
741	1.254	0.220
974/1	0.188	0.146
974/2	1.202	–
974/6	0.157	–
974/3	0.418	–
974/4	0.209	–
975/5	0.523	–
991	1.045	0.011
993	0.052	0.011
994/4	0.303	–
994/1/क	0.261	0.167
994/1/ख	0.094	–
994/2	0.355	–
994/3	0.355	–
1001	0.261	0.042
1007/1	0.031	0.062
1005/मि/1	0.137	0.021
1006/1	0.084	–
1007/2	0.262	–
1008	0.157	0.011
1005/मि/2	0.010	–
1006/2	0.418	0.062
1009/1	0.293	0.188
1010/1	–	–
1009/2	0.282	0.025
1010/2	–	–
1006/3	0.491	–
1023/3	1.024	–
1006/4	0.188	–
1021/1	0.209	0.105
1011/मि./1	0.930	0.011
1011/मि./2	0.064	–
1020	0.021	0.011
1021/2	0.282	–
1023/1	0.052	–
1024	0.010	0.010
1129/1	0.157	0.026
1023/2	0.397	0.105
1030/1	0.261	0.021
1032	0115	0.011
1033/1	0.460	0.130
1033/2	0.418	–
1105/4	0.418	0.116
1106/मि/1	0.564	0.272
1107/मि/1	–	–
1108/मि/1	–	–
1106/मि/2	–	–
1107/मि/2	0.575	–
1108/मि/2	–	–
1109/1/मि 1	0.010	–
1109/1/मि 2	0.011	–
1109/1/मि 3	0.010	–
1109/1/मि 4	0.021	–
1109/4/ख	1.045	0.157
1110/1	0.345	0.272
1111	0.355	0.011
1110/2	0.290	–
1110/3	0.290	–
1110/4	0.290	–
1110/5	0.290	–
1113	0.637	0.073
1115	1.119	0.063
1128/1	0.324	–
1128/4	0.167	–
1128/2	2.299	0.366
1128/5	0.418	–
1128/4/क	0.303	–
1128/4/ख	0.397	–
1128/6	0.419	–
1129/3	0.314	–
1128/7	1.254	–
1128/8	0.732	–
1129/2	0.261	–
1140/1	0.836	0.011
1140/2/क	0.491	–
1141/1	0.690	–
1146/2/ख	0.836	–

(1)	(2)	(3)
1140/2/ख	0.491	–
1141/2	0.690	0.261
1146/1/क/1	0.617	0.366
1146/1/क/2	0.679	–
1146/1/क/3	0.230	–
1146/1/ख	0.418	–
1146/2/ग	0.836	–
1146/2/क	0.167	–
1171/1	0.314	0.272
1171/2	0.157	–
1171/3	2.163	–
1173	1.055	0.178
1174	0.146	0.021
1175	0.679	0.663
1287/1	1.463	0.241
1287/2	1.338	–
1287/3	0.627	–
1348/1	0.376	–
1292/1	0.867	0.052
1292/2	0.471	–
1294/1	0.637	0.157
1308/2	0.836	0.220
1308/3	1.536	–
1348/2	0.418	0.011
1349/1/क	0.658	0.407
1349/2	0.209	–
1349/1/ख	1.045	–
1350	0.575	0.084
1352/1/1	0.251	0.073
1352/1/2	0.251	–
1352/2	0.836	–
1352/3	0.157	–
1352/4	0.366	–
1352/5	0.105	–
1372/1	0.836	0.040
1372/2	0.136	–
	योग :	10.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-1 एवं एम-2 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 93-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—बड़ेरा फुटकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.661 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
483	0.606	0.011
478	0.637	0.073
479	0.732	0.095
158/1/मिन-2	0.314	0.167
470/2	0.438	0.063
469/1	0.439	0.084
469/2	0.439	–
457	0.366	0.042
424/1	0.784	0.011
424/2 मिन-1	0.387	0.147
424/2 मिन-2	0.397	0.147
422	0.617	0.105
419	0.794	0.084
398/1	0.199	0.063
398/2	0.209	–
399	0.439	0.157
396	0.428	0.011
401	0.366	0.105
78	0.867	0.011
71/1	0.293	0.127
71/2	0.355	–
73	0.909	0.127
74	0.920	0.031
50	0.533	0.095
66	0.909	0.021
49	0.951	0.095
48/1	0.439	0.073
48/2	0.230	–
44	2.279	0.240
31	1.714	0.146
471	1.421	0.167

(1)	(2)	(3)
427	2.237	0.178
394	0.063	0.011
395	0.021	0.010
93/1	0.449	0.136
93/2	0.439	–
93/3	0.439	–
93/4	0.449	–
29/1	2.633	0.262
29/2	0.418	–
89/1	0.637	0.240
89/2	0.627	–
77/1	0.961	0.326
77/2	0.554	–
77/3	1.108	–
77/4	0.773	–
	कुल रकबा :	3.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की बड़ेरा मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 95-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—धनवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.39 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
632	0.58	0.10
633	0.600	0.10
627	0.35	0.03
626	0.350	0.10
575	0.390	0.06
623/2	1.010	0.11
619	1.71	0.14
621	0.440	0.05
606	0.85	0.13
607	0.35	0.04
608	0.35	0.05
596	0.17	0.05
592	0.30	0.11
591	0.40	0.02
571	0.52	0.05
572	0.52	0.09
574	0.39	0.06
573/662	0.250	0.07
573/661	0.240	0.03
573	0.24	0.01
560	0.62	0.08
559	1.22	0.12
546	0.90	0.19
547	1.040	0.01
525	0.710	0.03
524	1.63	0.29
505	1.600	0.16
530	0.560	0.01
504	0.020	0.01
503	0.690	0.16
481	1.630	0.05
482	0.430	0.04
487	0.46	0.10
486	0.77	0.14
449	0.96	0.18
439	0.47	0.05
438	0.45	0.09
437	0.650	0.01
576/2	0.390	0.01
413	0.37	0.07
414	0.22	0.08
415	0.06	0.01
416	0.45	0.07
418	0.33	0.07
409	0.21	0.07
369	0.32	0.10
365	0.74	0.01
368	0.33	0.01
380	0.33	0.02
371	0.62	0.05
183	0.42	0.02

(1)	(2)	(3)
379	0.83	0.15
376	0.15	0.02
377	0.18	0.07
375	0.81	0.06
248	0.11	0.01
408	0.66	0.08
304	0.40	0.01
252	0.20	0.01
192	1.15	0.10
307	0.19	0.05
74	1.00	0.10
75	0.75	0.16
256	0.28	0.01
168	0.16	0.07
169	0.47	0.04
170	0.80	0.14
171	0.70	0.06
178	0.60	0.01
164	0.48	0.01
166	0.16	0.07
167	0.20	0.02
182	0.53	0.10
255	0.44	0.03
254	0.24	0.08
253	0.14	0.05
212	1.02	0.16
211	0.40	0.02
213	0.28	0.06
195	0.43	0.05
194	0.43	0.10
191	0.44	0.04
172	0.73	0.03
177	0.86	0.12
79	0.34	0.15
78	0.63	0.03
72	0.60	0.12
71	0.29	0.04
26	0.84	0.17
27	0.42	0.06
33	1.10	0.01
	कुल योग :	6.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की धनवई मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 105-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—सुनारपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.463 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
464/1	0.773	0.105
464/2	0.668	
516/1	0.439	0.125
516/2	0.230	
517/1	0.481	0.062
517/2	0.439	
479	0.667	0.188
480/1	0.647	0.084
480/2 मि-1	0.470	
480/2 मि-2	0.146	
480/3	0.304	
480/4	0.094	
480/5	0.042	
495/1	0.219	0.157
495/2मि-1	1.181	
495/3	0.157	
495/4	0.161	
495/5	0.272	
495/6	0.282	
495/7	0.940	
495/8	0.052	
495/9	0.430	
494/1	0.052	0.062
494/2	0.840	
494/3	0.031	
493/1	0.178	0.011
493/2मि-1	0.021	
493/2 मि-2	0.104	

(1)	(2)	(3)
493/3	0.125	
484/1	0.241	0.094
484/2	0.146	
484/3	0.178	
484/4	0.094	
484/5	0.293	
484/6 मि-1	0.073	
484/6 मि-2	0.418	
498/1		
498/2	0.157	0.042
498/3	1.052	
490/1	0.177	0.052
490/2	0.052	
489/1 मि-1	0.167	0.209
489/1 मि-2	0.209	
489/2	0.209	
489/3	0.575	
505/मि-1	0.888	0.021
505 मि-2	0.889	
488/2 मि-1	0.115	0.073
488/2 मि-2	0.157	
492/1 मि-2	0.031	0.198
492/2	0.042	
492/3		
492/4	0.302	
	योग :	1.483

सुनारपुरा 1 एल मायनर

203	0.199	0.021
211 मि-1	0.565	0.157
211 मि-2	0.564	
213 मि-1	0.481	0.135
213 मि-2	0.241	
213 मि-3	0.240	
213 मि-4	0.073	
212	1.170	0.021
217	1.087	0.220
228	0.115	0.031
226 मि-1	0.512	0.325
226 मि-2	1.536	
151	0.115	0.011
27/1मि-2	0.418	0.073
56	0.303	0.084
59	0.136	0.031
58	0.439	0.105
68/1	1.164	0.271
70	0.105	0.042
71/1	0.115	0.031
71/2	0.115	-
73/1	0.063	0.031
73/2	0.407	
34	0.606	0.147
79	0.303	0.011
80	0.083	0.031
81/1	0.909	0.220
29/1क		0.042
29/1ख		
	योग :	2.040

सुनारपुरा 2 एल मायनर

479/1	0.366	0.052
479/2	0.449	
479/3	0.261	
479/4	0.157	
480/1	0.647	0.062
480/2मि-1	0.470	
480/2 मि-2	0.146	
480/3	0.304	
480/4	0.094	
480/5	0.042	-
477	0.711	0.072
476	0.669	0.042
475	0.941	0.031
471	0.867	0.073
472	0.930	0.084
470	1.338	0.105
429	1.045	0.157
425	1.119	0.116
426 मि-1	0.293	0.021
426 मि-2	0.418	
427	1.087	0.125
	योग :	0.940
	कुल योग :	4.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहरप्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बनारपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.644 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
149 मि-1	0.669	0.116
149 मि-2	0.658	
144 मि-1	0.470	0.116
144 मि-2	0.481	
146	1.777	0.188
138	0.794	0.084
142	0.763	0.095
141	1.003	0.178
128	0.460	0.209
127	1.317	0.209
126	0.449	0.198
125 मि-1	0.783	0.251
125मि-2	0.481	
	योग :	1.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 111-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—खेरियामोदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.604 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
42	0.554	0.031
53	0.418	0.125
54/1	1.411	0.209
54/2मि-1	0.041	0.094
54/3	0.606	0.125
54/2 मि-2	0.638	
282 मि-1	0.187	0.084
282 मि-2	0.186	
282 मि-3	0.186	
282 मि-4	0.186	
282 मि-5	0.186	
281	1.087	0.136
285	1.453	0.152
298	1.150	0.011
297/1	0.596	0.167
297/3	0.303	0.063
297/2		0.031
297 मि-3	0.303	
296	2.257	0.271
293/3	0.157	0.011
292/2	0.314	0.083
280	0.637	0.11
	योग :	1.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 112-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—करगंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.389 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
372	0.630	0.011
362	0.610	0.042
360	0.180	0.042
365	0.560	0.021
348	0.690	0.094
344	0.110	0.021
345	0.110	0.011
346	0.240	0.042
353	0.730	0.105
	योग :	0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—धनेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.198 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)		(2)
1330	0.105	0.031
1323	0.376	0.073
1324मि-1	0.020	0.105
1324मि-2	0.325	
1325मि-1क	0.366	0.105
1325मि-1ख	0.314	
1325/2मि-1	0.470	
1325/2मि-2	0.261	
1325/3	0.209	
1295/3	0.314	0.209
1295मि.-2	0.418	
1295मि-3	0.397	
1295मि-4	0.648	
1295मि-5	0.314	
1295मि-6	0.627	
1295मि-7	0.199	
1295मि-8	0.826	
1295मि-9	0.199	
1295मि-10	0.021	
1296	1.264	0.136
1297मि-1	0.752	0.084
1297मि-2	0.052	
1305	0.470	0.021
1302 मि-1	0.282	0.094
1302मि-2	0.293	
1301/1	0.345	0.052
1301/2	0.209	
1222	0.188	0.011
1223	0.157	0.062
1282	0.209	0.042
1283मि-1	0.209	0.052
1283मि-2	0.175	
1281मि-1	0.397	0.031
1281मि-2	0.397	
1286मि-1	0.209	0.062

(1)	(2)	(3)
1286मि-2	0.084	
1225मि-1	0.303	0.011
1225मि-2	0.314	
1257मि-1	0.502	0.021
1257मि-2	0.836	
1258मि-1	0.324	0.062
1258मि-2	0.324	
1260मि-2	0.157	0.094
1260मि-1	0.690	
1260मि-3	0.418	
1260मि-4	0.209	
1262	0.042	0.011
1263	0.261	0.125
1250	0.209	0.011
1181	0.826	0.116
1183/1	1.003	0.261
1183/2	1.045	
1183/3	0.627	
1183/4	1.045	
1184	0.805	0.062
1185	0.491	0.021
1189मि-1	0.463	0.178
1189मि-2	0.157	
1189मि-3/1	2.703	
1188	0.125	0.011
1135मि-2	0.418	0.146
1135मि-3	0.418	
1073	0.219	0.011
1074	0.314	0.011
1120	1.369	0.062
1075	0.146	0.062
1076	0.209	0.062
1079	0.230	0.094
1080	0.282	0.011
1087	0.387	0.031
1086	0.084	0.052
1040	0.596	0.094
1039मि-1	0.813	0.011
1039मि-3	0.309	
990/1	0.627	0.167
990/2	0.355	
994मि-1	0.314	0.094
994मि-2		
979/मि-1	0.272	0.125
979/मि-2	0.282	
995	0.115	0.011
	योग :	3.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 118-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बहांगीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.81 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)		(2)
644	0.340	0.15
643	0.190	0.05
652	0.150	0.01
521	0.180	0.13
517	0.630	0.110
518	0.020	0.110
434	0.050	0.010
515 मिन-1	0.420	0.15
515 मिन-2	0.430	
155	1.160	0.22
513	0.210	0.06
458	0.170	0.09
457	0.18	0.04
456	0.210	0.09

(1)	(2)	
455	0.150	0.10
420	0.160	0.030
342	0.050	0.010
339	0.060	0.020
150	0.650	0.070
329	0.040	0.030
328	0.210	0.080
327	0.040	0.010
325	0.260	0.030
326	0.060	0.020
324	0.260	0.140
323	0.260	0.110
151	0.810	0.130
166	0.190	0.120
219	0.490	0.090
167	0.08	0.070
169	0.090	0.060
230	0.380	0.120
231	0.320	0.100
223	0.500	0.100
221	0.020	0.020
210/1	0.710	0.240
205/858	0.600	0.170
208	0.800	0.130
528	0.340	0.090
537	0.290	0.070
529	0.49	0.110
536	0.44	0.100
531	0.480	0.12
	योग :	3.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-3 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 120-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—गोबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.17 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	
1032	1.460	0.080
1019	0.140	0.040
1026	0.500	0.020
1025	0.380	0.100
1021	0.230	0.050
1007	0.280	0.110
429	0.250	0.040
593	0.110	0.020
807	0.420	0.060
797	0.420	0.170
809/मिन-1	0.210	0.070
810	0.420	0.120
811	0.050	0.010
787	0.220	0.100
798	0.220	0.070
354	0.300	0.060
584	0.290	0.060
355	0.260	0.060
585	0.290	0.070
586	0.290	0.060
546	0.380	0.030
552	0.400	0.120
551	0.040	0.020
432	0.150	0.030
95	0.630	0.090
550	0.390	0.140
549	0.420	0.100
431	0.300	0.090
438	1.05	0.050

(1)	(2)	
430	0.210	0.120
555	0.510	0.070
129	0.710	0.160
133	0.420	0.050
357	0.440	0.070
349	0.540	0.040
360	0.210	0.050
140	0.210	0.020
141	0.210	0.130
136	0.210	0.050
106	0.420	0.020
108	1.050	0.210
92	1.050	0.010
131	0.42	0.04
128	0.32	0.09
	योग :	3.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 123-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—इकहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.330 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	
16	1.70	0.300
18	0.630	0.070
23	0.080	0.030
27	2.110	0.170
26	0.010	0.010
21	1.710	0.300
22	0.710	0.060
24	1.230	0.040
25	2.040	0.350
	योग :	1.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-4 आर एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—कैमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253	0.02
259/1 259/2	0.06
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-4 आर एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 02 अ-82-11.12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—त्योंदा

(ग) नगर/ग्राम—रसूलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.207 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1156/2ख 1157/1ख	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की दांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 22-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—बोहानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.670 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
765/1, 766/1	0.016
761/1	0.052
765/3, 766/3	0.018
758/7 759/7 760/7	0.026
758/3 759/3 760/3	0.024
767/1	0.046
761/2	0.046
758/1 759/1 760/1	0.048
516/3, 518	0.030
459/4, 516/2	0.024
515/1	0.016
460/1, 515/2	0.032
461/1	0.016
462/1	0.014
463/1	0.084
464/2	0.044
451/3, 466/2	0.016
466/3	0.072
468	0.016

(1)	(2)
471, 472/3	0.060
480/3	0.072
483/1	0.084
483/5	0.036
483/2, 483/6	0.048
483/3, 483/4	0.072
489/2, 489/4	0.024
486/1, 489/1	0.096
488/2	0.100
485	0.060
486/1, 486/2, 487	0.036
500/2	0.060
500/1, 501/1	0.096
503/1	0.048
504/1	0.032
505/3	0.034
508/1, 509/1, 510/1 511/1	0.072
योग . .	1.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गरहा-अजंसरा-मरका-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—चिरचिरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.963 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
102/1	0.008
102/2	0.024
102/3, 103/5	0.044
103/1	0.052
103/3	0.008
103/6	0.016
103/9	0.012
103/10	0.006
104/1, 105/1, 109/1 110/1	0.020
104/2, 105/2, 109/2 110/2	0.009
106	0.028
119	0.032
120/2	0.052
120/3	0.012
163, 164, 165/1, 166/1 166/3, 167/1, 167/3	0.048
165/2, 166/2, 167/2, 168, 159, 170, 171/1, 171/2	0.008
206/7	0.020
209/3	0.024
211/1, 211/2	0.086
225	0.016
226/1	0.052
227	0.028
230	0.028
231/1, 232/1, 231/2, 232/2	0.008
231/3, 232/2	0.036
233/1, 233/2	0.052
235/2, 237/1, 237/2	0.016
237/4	0.038
235/3	0.008
235/4	0.008
238/1, 238/3	0.100
174, 175	0.028
237/3, 244/2	0.036
योग . .	0.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गरहा-अजंसरा-मरका-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 24-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—बोहानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.816 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
486/1, 486/2, 487	0.090
488/2	0.100
488/1, 489/1	0.070
489/2, 489/4	0.058
489/3क	0.024
489/3ख	0.036
500/2	0.108
491/3	0.010
491/6	0.060
491/5	0.036
491/8	0.078
491/2	0.098
491/7	0.024
492/2	0.024
योग . .	0.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खंचारी-चिरचिरा-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—सुजवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.780 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.120
1/2, 1/3	0.040
3/4 ख	0.070
1/4	0.045
3/4 क	0.070
1/5, 1/6	0.025
1/7	0.035
1/8	0.040
3/2	0.085
9/1, 9/2	0.070
10	0.035
11	0.050
12	0.035
13	0.035
14	0.035
16/2, 17/1, 17/2	0.040
18/1 क, 18/1 ख, 18/2 ख	0.060
18/1छ	0.040
18/1 ज	0.040
24	0.110
25/3, 26/5, 28	0.130
27	0.080
29/1	0.025
29/2	0.025
29/3	0.060
29/4	0.060
54	0.220

(1)	(2)
56	0.080
57	0.050
58/1	0.025
58/2	0.025
59/1	0.035
59/5	0.035
60/1	0.040
60/2	0.040
62	0.160
63/1	0.045
63/2	0.045
64	0.120
65/1	0.030
65/2	0.050
68/1, 68/4, 91/1, 91/5	0.080
91/1, 92/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7	0.120
100, 101	0.050
105/1	0.080
106, 189/2	0.070
107/1	0.050
102/2, 121, 122/2	0.330
124/1	0.080
124/3	0.100
126/1, 126/2	0.240
127	0.120
योग . .	3.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खंचारी-चिरचिरा-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 568-प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12-5997.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—पथखई, पटवारी हल्का नम्बर 100
(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.041 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
91/1	0.692
91/2	0.173
78	1.619
91/3	0.692
244	0.198
245	0.544
271	0.193
102	0.112
257	0.781
99	0.752
248	0.225
261	0.478
180	0.082
107/2	0.101
266/1	0.053
266/2ग	0.109
110	0.133
107/3	0.101
321	0.162
217/2	0.018
351/3	0.027
390	0.090
408/2	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
404/3	0.038	139	0.175
512	0.024	77/4	0.200
525/1	0.029	236	0.066
538/2	0.183	250	0.534
590/1	0.072	135/2	0.080
587	0.080	359/2	0.042
108/2	0.660	112	0.045
108/1	0.440	107/1ख	0.303
96	0.380	291	0.048
97	0.502	323	0.015
188	0.010	361	0.042
77/3	0.405	370	0.163
141	0.025	407	0.114
304	0.138	404/1	0.038
253	1.963	514	0.024
260	0.291	1032	0.027
325	0.144	525/3	0.069
282	0.071	525/5	0.029
276	0.060	590/2	0.072
107/4	0.405	574	0.067
266/2क	0.053	187/1	0.565
269	0.030	187/2	0.564
583/2	0.019	93/2	0.350
290	0.070	251	1.156
320/3	0.048	258	0.275
360	0.042	93/1	0.359
351/4	0.027	268	0.287
513/2	0.038	256	0.304
527/2	0.019	306	0.060
403	0.034	249	0.630
578	0.026	92	1.242
513/3	0.038	267	0.453
525/4	0.029	77/2	0.609
593	0.115	140/2	0.065
585	0.067	266/2ख	0.109
109/1	0.335	279/3	0.809
109/2	0.502	140/1	0.308
98	0.648	292	0.072
109/3	0.405	351/2	0.027
189	0.424	351/1	0.027
263	0.085	386	0.006
142	0.025	525/5	0.029
254	0.806	404/2	0.038
265	0.293	513/4	0.038

(1)	(2)
513/1	0.038
528	0.048
591	0.053
580	0.163
579	0.053
938/2	0.072
1005	0.028
1000	0.008
1034/1	0.172
1006	0.001
1023/2	0.008
1029	0.040
1004	0.028
1024	0.132
1015	0.064
1002	0.060
कुल योग . .	29.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पथखई जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य से प्रभावित ग्राम पथखई की निजी भूमि 127 किता रकबा 29.041 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5998.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—धमनीखुर्द, पटवारी हल्का नम्बर 116

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.472 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
101	0.570
102	0.619
103	0.202
105/2	0.081
योग . .	1.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि 04 किता रकबा 1.472 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 563-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5999.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—कदौहा, पटवारी हल्का खैरहा नम्बर 113

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.453 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50	0.056
51	0.056
52/1	0.010
72	0.044
77	0.197
79/1	0.036
80/1	0.032
82/2	0.032
80/3	0.033
85/1	0.051
85/2	0.077
87/1	0.005
87/2	0.005
89	0.115
101/1	0.006
101/2	0.007

(1)	(2)
101/3	0.007
102/1	0.003
104/1	0.017
102/2	0.003
104/2	0.017
102/3	0.003
104/3	0.017
102/4	0.003
102/5/1	0.003
104/5/1	0.017
102/5/2	0.003
104/5/2	0.018
102/5/3	0.003
104/5/3	0.018
102/5/4	0.003
102/6/1	0.003
102/6/2	0.003
102/6/3	0.003
145	0.086
155/1	0.020
180/1	0.043
181/1	0.006
180/2	0.043
181/2	0.006
156	0.104
157/1	0.081
157/2	0.082
159/1	0.041
160	0.012
159/2	0.044
178/1	0.025
178/2	0.026
179/1	0.004
182/1	0.038
179/2	0.004
182/2	0.038
179/3	0.004
182/3	0.038
183	0.012
184	0.121
185	0.024
186	0.101
296	0.031
302/1	0.020
292/5	0.020
302/2	0.020
292/6	0.020
302/3	0.020
400/1	0.034
292/2	0.020
302/4	0.020
292/3	0.020
302/5	0.020
400/3	0.020
292/4	0.020
302/6	0.020
292/1	0.020
305/1	0.040
305/2	0.040
305/3	0.009
306	0.030
307	0.090
336/1	0.073
336/2क	0.036
336/2ख	0.036
340/1	0.031
340/2	0.031
340/3	0.031
340/4	0.031
342	0.010
341/1	0.150
383/3	0.010
341/2	0.015
383/1	0.010
341/3	0.015
383/2	0.010
380	0.010
381	0.072
383/4	0.071
387	0.108
388	0.010
399/2	0.069
404	0.077
405	0.077
52/2	0.010
104/4	0.017
योग . .	3.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि 102 किता रकबा 3.453 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-6000.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—धमनीकला, पटवारी हल्का नम्बर 116

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.503 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/2	0.044
105/3	0.045
110/1	0.040
110/2	0.040
110/3	0.041
111	0.024
126	0.147
127	0.036
128	0.061
151	0.072
131	0.051
132	0.051
133/1	0.051
133/2	0.050
140	0.193
149	0.048
154	0.109
155	0.242
157	0.097
170	0.061
योग . .	1.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि 20 किता रकबा 1.503 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—वासिन, पटवारी हल्का पचगांव नम्बर 88

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.168 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.091
14/2	0.050
227	0.101
17	0.201
128/1	0.050
205	0.131
249/1	0.011
292/2	0.030
133/1	0.030
133/4	0.030
134/2	0.021
153/1	0.011
203/2	0.020
230/2	0.061
292/5	0.030
292/8	0.030
295	0.050
4	0.021
133/2	0.030
297	0.020

(1)	(2)
135	0.121
128/3	0.070
119	0.020
292/9	0.020
128/494	0.121
251/2	0.061
133/5	0.021
152	0.061
253	0.101
203/3	0.091
249/3	0.011
249/6	0.011
251/1	0.121
311/2	0.061
314	0.141
16/1	0.011
16/2	0.020
278	0.041
118/2	0.091
121	0.041
122/2	0.030
249/4	0.011
311/1	0.040
133/6	0.021
249/8	0.020
153/2	0.011
229	0.071
292/4	0.020
292/7	0.020
292/6	0.020
312	0.081
41/1	0.070
204	0.041
16/3	0.011
118/1	0.091
128/2	0.050
122/1	0.030
249/2	0.020
292/3	0.030
133/3	0.030
134/2	0.021
292/9	0.021
203/1	0.020
230/1	0.061
249/5	0.011
249/7	0.020
295	0.041
योग . .	3.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम वासिन में प्रभावित निजी भूमि 3.168 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—पचगांव, पटवारी हल्का नम्बर 88

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.075 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/1	0.011
10/2	0.011
10/3	0.011
13	0.069
30/1	0.089
30/2	0.089
37	0.030
67/1	0.020
67/2	0.020
186	0.041

(1)	(2)
187	0.071
219	0.089
232	0.011
188/3	0.011
211	0.089
214/1	0.049
150/2	0.041
151	0.151
153	0.121
154	0.061
180	0.041
181	0.011
182	0.031
612	0.089
671	0.181
714	0.221
779	0.071
780	0.061
802	0.101
826	0.091
525	0.121
214/2	0.041
218	0.151
220	0.051
149	0.081
664	0.090
665	0.041
666	0.031
150/1	0.031
670	0.021
234	0.061
297	0.041
298	0.101
299/1	0.030
292/2	0.020
306	0.041
307	0.020
308	0.040
339/1	0.020
339/2	0.020
339/3	0.030
340	0.030
713/1	0.061
342/2	0.020
342/1	0.020
712/1	0.031
586	0.061
704	0.161
708	0.210
715	0.011
717	0.021
701/1	0.091
710/2	0.090
712/2	0.030
713/2	0.061
814	0.010
820	0.010
821	0.061
822	0.030
योग . .	4.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना अन्तर्गत ग्राम पचगांव में प्रभावित निजी भूमि 4.075 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—विचारपुर, पटवारी हल्का कल्याणपुर, नम्बर 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.676 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/3	0.091
150/1	0.081
150/2	0.081

(1)	(2)
151/1	0.301
152/2	0.101
165	0.061
202	0.291
152/1	0.101
152/2	0.091
152/3	0.020
253	0.049
254	0.049
256	0.061
257	0.071
273/1	0.050
273/2	0.050
273/3	0.050
273/4/1	0.030
273/4/2	0.021
273/4/3	0.021
273/4/4	0.021
277	0.241
279	0.171
287	0.181
291	0.120
373/1	0.021
275/1	0.031
373/2	0.021
375/2	0.031
373/3	0.020
375/3	0.030
373/4	0.020
375/4	0.030
373/5	0.020
373/6	0.020
375/9	0.030
375/4	0.030
373/5	0.020
373/6	0.020
375/9	0.030
373/7	0.020
375/5	0.030
373/8	0.021
375/6	0.031
373/9	0.030
375/7	0.030
373/10	0.021
375/8	0.031
400/2	0.101
407	0.211
447	0.030
451	0.020
453	0.211
452/1	0.070
452/2	0.070
452/3	0.070
योग . .	3.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम विचारपुर में प्रभावित निजी भूमि 3.676 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—मझौली, पटवारी हल्का खोल्हाड, नम्बर 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.603 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
51	0.181
53/2	0.011
54/2	0.121
96/1	0.040
54/1/2	0.010
96/3/2	0.041
97/2	0.011
53/1/2	0.011
96/2	0.041
62/1	0.030
62/2	0.021
62/3	0.011

(1)	(2)
62/4	0.011
62/5	0.011
71	0.030
72	0.011
73	0.011
योग . .	0.603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम मझौली में प्रभावित निजी भूमि 0.603 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—झकलाहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.428 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/2क/3	0.041
115	0.065
119/2	0.020
120/1	0.048
148/118/2	0.048
148/118/1	0.057
118	0.041
125, 143/127/2/2/1	0.008
143/127/1/2/1	0.032
143/127/1/2/2	0.040
143/127/1/2/3	0.028
कुल योग . .	0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत राजिंगमेन/जैक वैल एवं डिस्ट्रीब्यूटरी चैम्बर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 35-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—टिकटई
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.934 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भू-खण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (है. में)
(1)	(2)
693	0.358
694/1	0.218
699	0.358
योग . .	0.934

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—राजनगर बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 उर्मिल पुल चन्दला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 10148-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—जैतपुर कछया, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.61 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0.20
6/2	0.15
6/3	0.10
8	0.40
10	0.12
12/2	0.40
12/3	0.21
12/4	0.16
13/1, 2	0.06
13/3, 4	0.07
15/1	0.13
15/2	0.13
16/1, 2, 3	0.07
18/1	0.10
18/3	0.10
18/4	0.10
38/2	0.20
11	0.15
164	0.13
165	0.06
166/1	0.08
343	0.16
344/1	0.33
345/1	0.20
345/2	0.20
347	0.12
348/1	0.15
348/4	0.20
348/5	0.20
348/6	0.02
351	0.03
352	0.32
353	0.32
359	0.03
360/1	0.10
360/2	0.10
360/3	0.10
379/1	0.20
379/2	0.20
379/3	0.20
382/1	0.04
396/1	0.20
397/2	0.13
397/3	0.13
397/4	0.13
398	0.06
399	0.30
400	0.03
413/4	0.10
414/1	0.31
415/1	0.06
415/2	0.06
416/1	0.16
417	0.30
418/2	0.04
442/1	0.23
444	0.63
446/1	0.25

(1)	(2)
446/2	0.05
478	0.44
479	0.10
480	0.23
481/1, 2	0.02
539/2	0.32
542	0.41
543/1	0.22
559/1	0.14
561/1	0.07
561/2	0.29
561/3	0.28
561/4	0.05
561/5	0.05
561/6	0.05
561/7	0.05
562/5	0.38
योग . .	12.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10149-प्र. भू.-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—तोड़ा तरफदार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.965 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.186
31	0.182
32	0.738
33	1.446
34	0.214
27	0.633
188	0.380
189	2.978
190	0.310
191	0.753
192/1	0.008
193	0.127
194	0.839
195	0.600
196	0.430
197	0.430
198	0.868
199	0.440
200	0.420
179	0.170
180	0.170
181	0.170
182	0.170
183	0.670
184	0.670
186	0.390
187	0.380
176	0.027
178/1	0.720
178/2	0.740
178/3	0.560
201	2.670
204	1.500
205/1	0.370
205/2	0.380
206	1.170
207/1	0.320
207/2	0.770
208	1.060
209	1.050
210	1.050
211	1.465
212	0.063
258	0.700
259	0.700
260	1.340
261	0.078
288	0.460
योग . .	31.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तोड़ा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2012

नस्ती क्र. 115-2012/एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—करोली
(घ) अर्जित रकबा—0.135 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
555/1	0.135
योग . .	0.135

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मूंदी-सुलगांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. 4422-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—गड़रिया टोला, प.ह.नं. 27, देवगवां, प.ह.नं. 29, चिमटा, प.ह.नं. 28, कोटरी, प.ह.नं. 28, अमरपुर, प.ह.नं. 30.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.941 हे., 4.843 हे., 1.033 हे., 2.733 हे., 2.161 हे.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
ग्राम—गड़रिया टोला, प. ह. न. 27	
253/2	0.108
186/1/क	0.015
187/1	0.016
186/1/ख	0.015
187/2	0.016
240/2	0.049
186/1/ग	0.015
187/3	0.016
186/1/घ	0.015
187/4	0.016
186/1/ङ	0.015
187/5	0.016
186/1/च	0.015
187/6	0.016
189	0.108
186/3	0.004
246	0.007
251/1	0.004
251/2	0.003
250/1	0.081

(1)	(2)
250/2	0.031
249/1	0.004
249/2	0.117
248	0.180
267/9	0.013
240/1	0.050
242/1/ख/1	0.070
242/1/क/1	0.295
241/2क	0.108
226/1	0.063
227	0.089
229/1क	0.092
230/1	0.084
228/2ख	0.030
228/1ख	0.029
228/1क	0.030
31/2क	0.015
16	0.325
335/5/क/2	0.067
159/2	0.030
18/1	0.099
335/3	0.130
347/3ग	0.070
347/1ख	0.215
349/2 क	0.100
349/2 ख	0.100
388	0.125
394/2 ग	0.180
384/9	0.200
381/1	0.100
159/1	0.020
240/1	0.108
240/2	0.108
277/1 ख में	0.006
276/1 ख	0.096
239/2	0.064
238	0.168
235/3	0.141
277/1 क में	0.006
277/1 ग में	0.006
277/1 घ में	0.006
277/1 ङ में	0.006
277/1 च में	0.006
277/2 में	0.010
237	0.194
235/5	0.192
235/4	0.213
योग निजी भूमि . .	4.941

शासकीय भूमि

173/1	0.305
188	0.087
239/1	0.060
कुल योग . .	5.393

ग्राम—देवगवां, प. ह. नं. 29

792/1	0.180
794/1 क	0.312
787/1	0.144
698/1	0.457
698/2	0.194
697/4	0.323
697/3	0.241
697/1	0.184
693	0.480
695/1	0.084
790/1 क	0.091
790/1 ख	0.052
790/2	0.130
763/842	0.005
791/1	0.078
791/2	0.078
781/1	0.117
765/846	0.106
752	0.050
781/2 क	0.067
781/2 ख	0.067
765	0.042
762	0.120
760	0.102
748/1	0.112
759	0.063
756/839/1	0.060

(1)	(2)
756/838/1	0.010
756/838/2	0.010
756/838/3	0.010
756/838/4	0.010
756/838/5	0.010
754/2ख	0.055
754/3	0.055
754/4	0.055
751	0.100
753	0.005
747/1	0.016
747/2	0.016
748/2	0.016
834/2	0.050
792/1	0.104
375	0.080
376	0.030
484	0.012
782/849	0.100
482	0.160
योग निजी भूमि . .	4.843

ग्राम—चिमटा, प. ह. नं. 28

237/267/1	0.044
154/1	0.038
237/267/2	0.044
154/2	0.038
238/1	0.033
237/1	0.005
175/2	0.038
125/2	0.010
238/2	0.033
175/1	0.038
124 में	0.007
125/1	0.010
238/3	0.027
216/1	0.033

(1)	(2)
216/2	0.011
215/1	0.049
215/2	0.027
182/1 क	0.049
186/1 क	0.022
172/1 में	0.003
153/1क/1	0.027
174/1 क	0.005
182/1 ख	0.049
186/ 1 ख	0.022
172/2 में	0.002
153/1क/2	0.027
174/1 ख	0.005
185	0.005
166 में	0.011
184	0.006
167/1 क	0.049
168/1 में	0.005
167/1 ख	0.044
168/2	0.005
154/3 क	0.016
265	0.196
योग निजी भूमि . .	1.033

शासकीय भूमि

153/2 ख	0.005
153/1 ख	0.005
217	0.110
कुल योग . .	1.053
793	0.138
754/1	0.090
756	0.060
393	0.010
कुल योग . .	5.141

ग्राम—कोटरी, प. ह. नं. 28

627	0.040
629/2	0.340
622	0.012
628	0.010

(1)	(2)
621/1	0.030
623/1/क	0.024
623/2/क	0.012
623/2ख	0.012
623/3	0.024
623/4	0.024
623/5	0.024
623/6	0.020
620	0.040
624	0.070
298/1 क	0.240
298/2 ख	0.230
298/2क/2	0.010
298/7/क/1/क	0.035
298/7/क/1/ख	0.035
298/5/क	0.017
298/3	0.015
298/6	0.035
299/1	0.030
299/2	0.120
292/1	0.040
292/2	0.090
273/1	0.107
258/2क	0.110
291/1	0.024
258/1	0.379
298/1क	0.153
298/2/क/1/ख	0.147
298/2/क/1/ग	0.106
298/2 ख	0.075
298/6	0.053
योग निजी भूमि . .	2.733
शासकीय भूमि	
298/1	0.005
कुल योग . .	2.738

ग्राम—अमरपुर, प. ह. नं. 30

577/2	0.315
586	0.174
546	0.073
474	0.005
475	0.171
476	0.005
477	0.054
478	0.088
479	0.170
530	0.167
527	0.222
546	0.096
582	0.087
286	0.024
590/1 ख	0.050
585/2	0.077
590/1	0.105
585/1	0.057
589	0.091
592/1 क	0.042
482	0.088
योग निजी भूमि . .	2.161
शासकीय भूमि	
593/1	0.414
571	0.300
570	0.060
573	0.020
502	0.100
कुल योग . .	3.055

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार डायवर्सन योजना, नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, जिलाध्यक्ष उमरिया (म. प्र.) एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 नवम्बर 2012

क्र.-क-10275-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 01-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.33 A-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—पगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.05 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
114	0.550
115	0.230
116	0.120
117	1.920
119	0.900
130	0.070
134	0.170
135	0.050
136	0.030
277	0.370
278/1	0.180
278/2क	0.010
278/2ख	0.040
278/3	0.190
279	0.250
280	0.020
294	0.010
308	0.140
337	0.100
339	0.660
342	2.000
344	2.020
347/1	0.240
347/2	0.240
347/3	0.240
347/4	0.240
347/5	0.250
348	1.420
350	0.230
354	1.960
355	2.100
356	2.000
358	0.250
359	1.120
360	0.530
372	0.130
373	0.200
374	0.730
375	0.710
377	0.270
378	0.020
379	0.550
383	0.040
384/1	0.120
384/2	0.360
384/3	0.570
384/4	0.340
385	1.170
386	0.880
387	1.960
388/1	0.060
388/2	0.160
388/3	0.290
389/1	0.710
389/2	0.500
389/3	0.720
389/4	0.640
389/5	0.430
389/6	0.640
योग . .	33.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10277-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 02-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-31-अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—भीकमपुर रैयतवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.16 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
33/2	0.050
65	0.290
67	0.050
91	0.200
96	0.500
104	0.070
योग . .	1.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म. प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10280-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 03-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-34 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.032 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
48	0.240
49	0.560
50	1.470
51	0.242
64	0.870
65	0.520
66	1.280
67	1.050
70/1	0.550
70/2	0.550
71/1	1.410
71/2	0.710
72	1.660
73/1	2.53
73/2	0.800
76	1.160
78	1.370
79	1.080
80	0.240
81	0.240
83	0.210
84	1.150
85	0.010
86	0.070
89	0.510
93	0.230
94	0.550
95	1.100
96	0.330
97	1.190
98	0.120

(1)	(2)
99	0.020
100	0.210
101	0.030
103	0.120
106	0.040
109	0.110
110	0.050
111	0.040
112	0.020
113	0.220
114	0.020
115	0.010
123	1.660
124	0.220
125	0.320
127	0.600
128	0.080
129	0.090
130	0.060
132	0.050
134	0.060
कुल . .	28.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10273-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 04-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-28 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—भीकमपुर मुस्तजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.840 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
2	0.580
3	0.220
4	5.300
5	0.630
6	0.610
7/1	2.040
7/2	2.000
7/3	0.670
7/4	0.670
7/5	0.660
8	0.210
9	0.310
10	0.040
11	0.640
13	2.010
18	2.250
कुल . .	18.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10272-भू.-अर्जन-2011-प्र. क्र. 05-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-30 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—228.532 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1	0.336
2	0.090
3	0.825
4	0.610
5	0.560
6	0.620
7	4.330
8	2.230
9	2.840
10	1.130
11	0.680
12	0.610
13	0.210
14	0.620
15	0.100
16	0.160
17	0.620
18	0.530
19	0.930
20	0.610
21	0.320
22	1.100
23	0.520
24	1.030
25	0.680
26	0.400
27/1	0.490
27/2	0.100
28	0.600
29	0.790
30	0.780
31	0.600
32	0.610
33/1	0.220
33/2	0.220
33/3	0.230
34	0.780
35	1.220
36/1	0.420
36/2	0.420
36/3	0.420
37/1	0.330
37/2	0.320
38/1	0.670
38/2	0.680
39	0.150
40	0.124
41	0.180
42	0.189
43	0.848
44	0.288
50	0.143
52	0.378
53	0.880
54	0.088
55	0.976
56	0.230
57	0.260
58	1.440
59	0.880
60	0.140
61	1.170
62	0.520
63	0.560
64/1	0.790
64/2	0.790
65	1.540
67	0.120
68	0.020
69	0.080
70	0.080
71	0.050
72	0.050
73	0.040
74	0.030
75	0.010
76	0.030
77	2.250
78	1.190
79	1.050
80	0.940
81	0.650
82	1.070

(1)	(2)	(1)	(2)
83	0.580	138	0.010
84	3.430	139/1	0.030
85	1.310	139/2	0.030
86	0.160	140/1	0.010
88	0.580	140/2	0.010
89	0.020	141	0.020
90	0.050	142	0.020
91	0.050	144	0.020
92	0.010	145	0.020
93	0.010	147	0.020
96	0.060	148/1	0.010
97	0.120	148/2	0.010
98	0.200	149	0.050
99	0.140	150	0.040
100/1	1.220	151	0.040
100/2	0.160	152	0.050
101	0.580	153	0.060
103	1.750	154	0.030
104	0.560	155	0.020
105	0.500	158	0.060
106	0.640	160	0.030
107	0.240	161/1	0.130
108	0.490	161/2	0.120
109	1.460	162/1	0.030
110	0.750	162/2	0.030
111	1.550	162/3	0.030
112	1.850	163	0.060
115	1.320	164	0.120
116	0.350	165	0.130
117	0.280	166	0.100
118	0.580	168	0.440
119	0.150	169	0.250
121	0.170	170	0.200
123	0.530	171	0.130
124	1.890	172	0.660
127	0.990	173	0.650
129	3.210	174	0.510
130	0.310	175	1.410
131	1.630	176	0.660
132	2.300	177	0.230
134	0.130	178	0.890
135	0.060	179	1.300
136	0.170	180	0.280
137	0.150	181	0.280

(1)	(2)	(1)	(2)
182	0.650	229	0.060
183	0.930	230	0.100
184	0.720	231	0.640
185	0.651	232/1	0.270
186	0.250	232/2	0.800
188/1	0.100	233	1.270
188/2	0.110	235	0.590
189	0.840	236	0.600
190	0.560	237	1.040
191	0.250	238	2.240
194	2.060	239	0.380
195	0.310	240	2.900
197	1.740	241	3.160
199	4.660	242	0.310
200	4.260	243	2.260
201	0.100	244/1	0.540
208	0.020	244/2	0.550
209	0.020	244/3	0.540
210	0.030	245	0.070
211	0.030	246	0.370
212	0.080	247	0.820
213/1	0.060	248	0.580
213/2	0.020	249	0.680
213/3	0.020	250	1.320
214	0.060	251	0.310
215	0.020	252	0.270
216	0.130	253	0.980
217	0.020	254	1.130
218	0.022	255/1	0.180
221	0.080	255/2	0.180
222/1	0.020	255/3	0.190
222/2	0.010	256	0.760
223	0.060	257/1	0.130
224/1	0.080	257/2	0.130
224/2	0.030	257/3	0.130
224/3	0.030	258/1	0.210
224/4	0.020	258/2	0.210
225	0.050	258/3	0.210
226	0.020	259/1	0.350
227/1	0.020	259/2	0.350
227/2	0.020	259/3	0.340
227/3	0.020	260/1	0.100
228/1	0.040	260/2	0.090
228/2	0.020	260/3	0.090
228/3	0.020		

(1)	(2)
261/1	0.690
261/2	0.700
261/3	0.690
263/1	0.060
263/2	0.080
263/3	0.060
264	0.670
265	0.160
266	0.670
267	1.540
268	0.900
269	1.650
271	0.410
273	1.370
275	0.500
276	1.050
277/1	0.790
277/2	0.530
278/1	1.200
278/2	0.600
279	0.330
284	1.580
285	0.400
286	0.448
288	0.110
292	0.620
294	0.126
295	0.175
296	0.385
297	0.110
298	1.140
299	0.340
300	1.200
301	0.220
302	0.220
303	0.480
304	0.300
305	0.290
306	0.460
307	0.300
308	1.110
309	0.730
310	0.460
311	0.380
313/1	0.020
313/2	0.020
313/3	0.020
314/1	0.300
314/2	0.100
314/3	0.100
314/4	0.100
315/1	0.140
315/2	0.340
315/3	0.340
317	0.550
318/1	0.420
318/2	0.410
319/1	0.400
319/2	0.420
321	0.560
322	0.780
323	0.930
324	1.160
325	0.910
326	0.160
327	1.110
337	0.440
338	1.130
339	3.380
340	0.770
341	0.490
342	0.690
343	1.000
344	0.450
345	0.240
346	0.900
347	1.120
348	1.110
349	1.110
350	1.110
351	0.120
352	1.030
353	1.100
354	0.320
355	0.980
356	1.020
357	0.350
358	0.080
359	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
360	0.390	414	0.060
361	0.060	416	0.060
362	0.060	418	0.060
363	0.370	421	0.800
364	1.350	422	0.030
365	1.040	423	0.040
366	0.700	424	0.050
367	0.390	425	0.150
369	0.470	426	0.360
370	0.550	427	0.580
371	0.090	428	0.520
375	0.670	429	0.340
376	0.110	430	0.260
377	0.590	431	0.100
378	1.000	432	0.040
379	0.350	433	0.050
380	0.200	434	0.030
381	0.250	435	0.040
383	1.080	436	0.040
384	0.200	437	0.060
385	0.160	438	0.200
386	0.150	439	0.100
387	0.150	440	0.530
388	1.560	442	0.320
390	0.820	443	0.280
391	0.200	444	0.310
392	0.180	445	0.160
393	0.570	446	0.060
394	0.070	449	0.140
395	0.550	450	0.140
396	0.280	451	0.110
397	0.080	452	0.070
398	0.100	453	0.970
399	0.040	454	0.750
400	0.050	455	0.090
401	0.080	457	0.020
402	0.190	458	0.090
403	0.060	459	0.180
404	0.500	460	0.300
405	0.740	461/1	0.140
409	0.070	461/2	0.140
410	0.080	461/3	0.150
411	0.100	461/4	0.160
413	0.040	461/5	0.140

(1)	(2)
462/1	0.350
462/2	0.360
463	0.100
464	0.180
465	0.470
466	0.040
467	0.040
468	0.160
469	0.140
470	0.060
471	0.060
472	0.060
473	0.100
476	0.040
479	0.120
481	0.010
482	0.040
484	0.050
485	0.050
486	0.160
489	0.120
490	0.120
491	0.060
492	0.130
493	0.210
496	0.60
497	0.030
498	0.030
499	0.090
500/1	0.490
500/2	0.500
501	0.320
502	0.080
503	0.020
505	0.070
507	0.260
262/1	0.080
262/2	0.080
262/3	0.080
योग . .	228.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 38 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—बमाना, प.ह.नं.-118, बमाना.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—128.16 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
46/1	0.840
46/2	0.400
46/3	0.400
46/4	0.550
46/5	0.070
47	0.500
48/1	0.260
48/2	0.140
50	1.070
51/1	1.060
51/2	0.020
51/3	0.020
52	0.270
53	0.300
54	0.320
55	0.300
56	0.320
57/1	0.480
57/2	0.070
57/3	0.080
58	0.320

(1)	(2)	(1)	(2)
59/1	1.160	93	0.120
59/2	0.800	94	0.170
59/3	0.360	97	0.190
60/1	0.140	98	0.880
60/2	0.140	99	0.190
60/3	0.140	100	0.100
60/4	0.150	101	0.100
61	1.150	102/1	0.200
62	0.670	102/2	0.200
64/1	0.070	102/3	0.060
64/2	0.060	103	0.340
65	0.200	106	0.070
66	0.230	107	0.030
67	0.260	108	0.180
69	0.040	109	0.170
71	0.050.	110	0.110
72	0.080	111/1	0.130
73	0.040	111/2	0.120
74	0.150	112	1.380
75	0.020	113	0.710
76/1	0.040	114	0.250
76/2	0.020	115	0.120
77	0.050	116	0.050
78	0.030	126	0.050
79	0.070	127	0.040
80	0.150	128	0.040
81	0.170	129/1	0.010
82	0.110	129/2	0.140
83	0.090	130/1	0.060
85/1	0.040	130/2	0.050
85/2	0.030	131	0.030
85/3	0.020	132/1	0.080
85/4	0.020	132/2	0.080
86/1	0.110	132/3	0.090
86/2	0.060	133	0.220
86/3	0.060	134	0.320
86/4	0.060	135	0.140
87	0.450	136/1	0.150
88/1	0.140	136/2	0.160
88/2	0.070	136/3	0.040
88/3	0.070	137/1	0.140
88/4	0.070	137/2	0.260
91	0.140	137/3	0.050
92	0.320	138	0.310

(1)	(2)	(1)	(2)
139	0.450	256/3	0.310
140/1	0.290	256/4	0.160
140/2	0.360	257/1	0.210
141/1	0.280	257/2	0.220
141/2	0.280	257/3	0.220
142	0.350	257/4	0.110
143	0.010	258/1	0.110
149	0.010	258/2	0.110
203	0.050	258/3	0.110
222/1	0.180	258/4	0.060
222/2	0.080	259	1.370
223/1	0.080	260	0.160
223/2	0.040	263	0.080
223/3	0.040	264	0.100
224	0.450	266/1	0.090
225	0.010	266/2	0.100
226	0.010	267	0.010
227	0.070	268	0.040
228	0.230	269/1	0.030
229	0.150	269/2	0.040
230	0.150	270	0.050
231/1	0.220	272/1	0.080
231/2	0.220	272/2	0.080
232	0.250	275	0.010
233	0.360	276	0.030
235	0.090	277	0.030
237	0.290	278	0.070
238	0.590	279	0.060
239	0.210	280	0.130
240	0.120	281	0.050
241	0.430	282	0.040
242	0.250	284	0.120
243	0.130	285	0.390
244	0.070	286	0.280
245	0.470	287	0.600
248	0.360	288	0.200
249	0.830	289	0.790
250	0.500	290	0.640
251	0.210	291	0.510
252	0.700	292	0.150
253	0.010	293	0.100
254/1	0.280	294	0.230
254/2	0.290	295/1	0.060
256/1	0.320	295/2	0.060
256/2	0.310		

(1)	(2)	(1)	(2)
296	0.090	681	0.550
297	0.060	682	0.520
301	0.020	683	0.110
302	0.030	684	0.740
303/1	0.010	685/1	0.470
303/2	0.020	685/2	0.090
303/3	0.020	686	0.550
303/4	0.100	687	0.340
305	0.110	688	0.890
306/1	0.030	689	0.880
306/2	0.050	690	0.070
306/3	0.060	692	1.040
306/4	0.030	693/1	0.380
307	0.050	693/2	0.370
307/913	0.300	694	0.470
308	0.050	695	0.350
309	0.060	696/1	0.700
310	0.140	696/2	0.600
311	0.050	697	0.800
312	0.870	698	0.060
313	0.040	699	1.100
316	0.240	700/1	0.570
319	0.340	700/2	0.580
320	1.100	701	0.670
321	0.440	702/1	0.070
322	0.310	702/2	0.040
393	0.060	703/1	0.240
394	0.040	703/2	0.120
395	0.030	704	0.400
405	0.020	705	0.980
406	0.030	706/1	0.240
413	0.030	706/2	0.240
414	0.020	707	0.440
415	0.020	709	0.800
416	0.010	710	0.550
498	0.020	711	1.020
644/1	0.350	712	0.390
645/2	1.100	713	0.570
674	0.300	714	0.400
675	0.020	715	0.490
676	0.020	716	0.200
677	0.510	717	0.260
678	0.140	718	0.120
679	0.320	719	0.400
680	0.230		

(1)	(2)
720	0.580
721	1.040
722	0.190
723	0.260
724	0.330
725	0.220
726	0.110
727	0.080
728/1	0.370
728/2	0.040
729	0.200
730	0.720
731	0.440
732	0.350
733	0.110
736	0.710
737	0.320
738	1.240
739	0.040
742	0.030
743	0.090
745	0.200
746	1.240
747/1	0.480
747/2	1.000
748	0.270
749	0.100
750	0.120
751	0.130
752	0.170
753	0.320
754	0.210
755	0.180
756	0.200
757	0.240
758	0.910
759	0.970
761	0.650
760	0.750
762/1	0.400
762/2	0.800
763	1.380
764	0.130
765	0.080

(1)	(2)
766	0.410
767	0.300
769	0.380
768	0.070
770	0.070
771	0.850
772	0.700
773	0.200
774	0.360
775/1	0.770
775/2	0.400
776	0.700
777/1	0.380
777/2	0.800
778	0.550
779	0.780
785	0.470
786	0.140
790/1	0.410
790/2	0.400
791	0.390
792	0.130
796	0.060
805	0.180
806	0.170
807	0.040
809	1.300
810	0.130
811	0.060
813	0.310
814	0.650
815	0.090
817	0.090
818	0.060
819	0.070
820	0.090
821	0.120
822	0.070
823	0.090
824	0.130
825	0.530
826/1	0.370
826/2	0.600
827	0.850
828/1	0.070

(1)	(2)
828/2	0.400
829	0.190
830	0.190
831	0.070
832/1	0.840
832/2	0.720
833	0.310
835/1	0.260
835/2	0.400
836	0.350
837/1	0.220
837/2	0.230
838	0.340
839	0.500
840	0.610
841	0.180
842	0.130
843	0.500
844/1	0.260
844/2	0.300
845/1	0.070
845/2	0.070
847	1.170
848	0.940
849	0.560
850/1	0.500
850/2	0.440
851	0.170
852	0.390
853/1	0.480
853/2	0.520
854	0.130
856	0.780
857	0.690
858/1	0.300
858/2	0.480
859	0.070
862	0.010
863	0.150
864/1	0.120
864/2	0.470
872	0.800
890	0.110
891/1	0.370
891/2	0.400
891/3	0.360
893	0.180
895	0.010
896	0.230
897	0.080
898/1	0.450
898/2	0.130
899/1	1.030
899/2	0.820
899/3	0.380
900	0.300
903	0.100
905	0.100
कुल योग . .	128.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के पगरा बांध निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म.प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10281-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 07-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 35 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—चंद्रपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—215.640 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.100
13	1.190
15/1	0.530
15/2	0.440
16/1	0.060
16/2	0.450
17/1	0.400
17/2	0.340
18/1	0.120
18/2	0.460
19	0.930
20	1.350
21	0.680
22	0.750
23/1	0.730
23/2	0.360
23/3	0.370
24/1	0.260
24/2	0.210
24/3	0.540
25	0.660
26	0.050
27	0.640
28	0.750
29/1	0.120
29/2	0.230
30	0.470
31	0.170
32/1	0.400
32/2	0.950
32/3	0.910
33/1	2.280
33/2	1.310
34	1.000
35	0.970
36	0.100
(1)	(2)
37	0.660
38/1	0.450
38/2	0.150
39	1.210
40	1.450
41	0.550
42	0.800
43	1.830
44	0.790
45/1	0.150
45/2	0.150
46/1	0.230
46/2	0.230
47/1	0.760
47/2	1.000
48	0.280
49	0.860
50	3.010
51	1.460
52	1.010
54	0.300
56	0.460
57	0.160
58	1.120
59/1	0.530
59/2	0.800
60	2.600
61/1	1.350
61/2	1.650
62/1	0.230
62/2	0.200
62/3	1.250
63/1	1.180
63/2	0.540
64	1.040
65	0.190
66	0.350
68	0.420
69	1.500
70	0.250
71	0.110

(1)	(2)	(1)	(2)
72	1.050	95/2	0.510
73	1.990	96	0.100
74	0.840	98	0.150
75/1	0.270	99	0.680
75/2	1.000	100	0.730
75/3	1.200	101	0.050
75/4	2.400	104	0.110
76	1.050	105	0.130
77	0.910	110	0.020
78	0.450	113	0.060
79	0.640	114	0.010
80	0.560	115/1	0.050
81/1	0.300	115/2	0.090
81/2	0.160	118/1	0.050
82/1	0.140	118/2	0.050
82/2	0.210	119	0.120
83/1	0.330	128	0.030
83/2	0.280	129	0.040
84/1	1.000	131	0.050
84/2	0.370	132	0.020
85	0.520	134	0.080
86/1	0.410	136	0.060
86/2	0.990	143/1	0.330
86/3	0.480	143/2	0.330
87/1	0.700	147	0.210
87/2	0.220	148	0.170
87/3	0.400	150/1	1.000
87/4	0.110	150/2	0.480
87/408	1.000	151	0.340
87/5	0.230	152	0.070
88	0.150	153	0.060
89/1	0.120	153/402	0.010
89/2	0.450	156	1.510
89/3	0.450	157/1	0.530
90	0.500	157/2	0.540
91	1.160	158	0.350
92	0.170	159	0.240
93/1	0.380	160/1	1.300
93/2	0.400	160/2	0.440
94	0.110	160/407	0.860
95/1	0.600	161/1	2.040

(1)	(2)	(1)	(2)
161/2	0.400	188	0.400
162	1.390	189	0.210
163/1	0.680	190	0.600
163/2	0.240	191/1	0.320
163/406	0.400	191/2	0.400
164/400	0.350	192	0.540
165	1.740	193/1	0.790
166	0.660	193/2	0.700
167	1.010	194	0.410
168/1	0.340	195	0.810
168/2	0.340	196/1	0.330
169/1	0.470	196/2	0.120
169/2	0.480	197/1	0.280
170	0.320	197/2	0.180
171/1	0.420	197/3	0.180
171/2	0.210	197/4	0.180
171/3	0.220	197/5	0.180
171	0.220	198/1	0.340
172/1	0.230	198/2	0.330
172/2	0.110	199/1	0.140
172/3	0.110	199/2	0.140
173/1	0.230	200	0.330
173/2	0.120	201/1	0.060
173/3	0.120	201/2	0.070
174	0.540	203/1	0.180
175	1.530	203/2	0.180
176/1	0.500	205	0.370
176/2	0.500	206/1	0.130
177	0.850	206/2	0.120
178	0.110	207/1	0.120
179	0.050	207/2	0.020
180/1	0.030	208	0.390
180/2	0.020	209	0.030
181/1	2.710	210/1	0.040
181/2	1.920	201/2	0.050
184/1	1.000	210/3	0.050
184/2	0.450	210/4	0.050
184/3	0.560	211/1	0.130
186	0.180	211/2	0.110
187/1	0.560	211/3	0.110
187/2	0.500		

(1)	(2)	(1)	(2)
211/4	0.230	239	0.390
212/1	0.690	240	0.600
212/2	0.700	241	1.020
213/1	0.230	242	0.220
213/2	0.240	243	0.200
213/3	0.260	244	0.100
213/4	0.230	245	0.110
214/1	0.060	246	0.730
214/2	0.520	247	0.620
214/3	0.130	248	0.640
215	0.520	249	0.350
216	0.500	250	0.080
217	1.050	251	0.800
219	0.490	252	0.210
220/1	0.350	253	0.190
220/2	0.220	254	0.490
220/3	0.360	255	1.120
221	1.800	256	1.320
224	0.650	257	0.720
225/1	0.020	258	0.040
225/2	0.160	259	0.280
226	0.510	260	0.620
227/1	0.300	261	1.010
227/2	0.610	262	0.400
228	0.330	263/1	0.310
229	0.650	263/2	0.220
230	0.250	263/1	0.530
231/1	0.560	264/2	0.530
231/2	0.400	265/1	0.370
232/1	0.300	265/2	0.200
232/2	0.090	266/1	0.490
232/3	0.710	266/2	0.480
233	0.950	267/1	0.460
233/396/1	0.740	267/2	0.450
233/396/2	0.710	268/1	0.180
234/1	2.180	268/2	0.180
234/2	0.810	269	0.240
235	0.100	270	0.160
236	0.920	272/1	0.060
237	1.000	272/2	0.020
238	0.350	272/3	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
272/4	0.020	307	0.081
272/5	0.010	308	0.050
273/1	0.120	309	0.060
273/2	0.120	310/1	0.030
273/3	0.120	310/2	0.010
273/4	0.120	310/3	0.030
274/1	0.020	311/1	0.020
274/2	0.110	311/2	0.080
275	0.110	311/3	0.010
276/1	0.110	312/1	0.030
276/2	0.240	312/2	0.030
276/3	0.110	312/3	0.010
277	1.030	312/4	0.030
278	1.870	313	0.010
279	0.620	315/1	0.170
280	0.830	315/2	0.130
281	0.460	315/405/1	0.030
282	0.560	315/405/2	0.090
283	0.820	316	0.410
284	0.810	317	0.030
285	0.940	319/1	1.060
286	0.280	319/2	0.040
287	0.470	320/1	0.400
288	0.740	320/2	0.110
289	0.100	321	0.040
290	0.210	323	0.070
291	0.100	326	0.320
292	0.110	327	0.030
293	0.260	333	0.100
294	0.680	334	0.240
295	0.120	335	0.160
296	0.140	338	1.620
297	0.380	339/1	0.110
298	0.530	339/2	0.110
299	0.080	340	0.200
300	0.410	343	0.830
302	0.130	344	0.820
303	0.070	345	1.210
304	0.130	346	0.230
305	0.060	347	0.220
306	0.770	348	0.260

(1)	(2)
350	0.070
351/1	0.130
351/2	0.120
352	0.240
353	0.130
354	0.160
357	0.120
358	0.070
361	0.020
362	0.010
363	0.010
364	2.420
365	2.260
366	1.490
367	0.870
368	0.730
369	0.280
370	0.050
371	0.300
372	0.150
373	1.020
374	0.920
375	1.080
376	1.010
378	0.480
380/1	0.380
380/2	0.370
380/3	0.370
381/1	0.210
381/2	0.210
381/3	0.210
381/399/1	0.340
381/399/2	0.330
381/399/3	0.330
382/1	0.150
382/2	0.150
382/3	0.150
383	0.410
384	0.570
388/1	0.660
388/2	0.270
388/3	0.660
389	0.280
390/1	0.550
390/2	0.550
391	0.900
392/1	0.080
392/2	0.200
394/1	0.950
394/2	0.630
394/3 (ए)	0.320
394/3 (बी)	0.320
394/4	0.640
394/5	0.640
कुल योग . .	215.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10274-प्र.क्र. 08-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 29 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—औड़ाहो, प.ह.नं. 117 खजरा भेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—168.130 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1/1	0.400
1/2	0.400
2/1	1.490

(1)	(2)	(1)	(2)
2/2	0.500	53/3	0.340
3	1.370	53	0.250
4/1	0.310	57	0.040
4/2	0.300	61	0.060
6/1	0.300	62	0.620
6/2	0.300	63/1	0.250
7/1	0.250	63/2	0.400
7/2	0.250	68	0.500
10/1	0.160	70	0.170
10/2	0.170	71/1	0.180
11/1	0.430	71/2	0.180
11/2	0.420	73	0.350
16	2.250	84	0.550
17/2	1.000	85	0.250
19/1	1.850	98	0.090
19/2	1.230	100/1	0.600
20	1.000	100/2	0.480
21	1.030	100/3	0.220
22	0.200	100/4	0.230
24	0.460	100/5	0.220
25/1	1.200	100/6	0.400
25/2	0.790	102/1	0.400
26	0.620	102/2	0.400
26/576	0.430	104/1	0.220
27/1	0.610	104/2	0.450
27/2	0.610	105/1	0.300
28/1	0.090	105/2	0.300
28/2	0.100	106	0.460
29/1	0.400	107/1	0.190
29/2	0.960	107/2	0.200
30	0.360	108	1.040
32/1	0.320	110	2.030
32/2	0.080	112	1.200
38	0.160	116	1.350
39	0.130	117	0.500
40	1.400	120/1	0.070
42	0.200	120/2	0.070
44	0.110	122/1	0.150
47	1.710	122/2	0.210
49	0.630	123/1	0.220
50/1	0.150	123/2	0.210
50/2	0.140	123/3	0.190
52/1	0.340	124/1	0.060
52/2	2.160	124/2	0.070

(1)	(2)
125/1	0.110
125/2	0.100
126	0.120
127	0.130
128	0.070
129/2	0.400
129/3	0.360
131	0.200
133/1	0.210
155	0.200
168/1	0.020
168/2	0.020
170	0.800
172	0.170
173	0.130
174	0.020
175/1	0.010
175/2	0.030
177	0.050
178	0.020
193	0.040
234	0.190
237	1.310
238/1	0.310
238/2	0.320
239/1	0.080
240	0.840
241	0.620
262/1	0.010
262/2	0.010
264	0.030
265	0.120
267	0.250
268	0.100
269	0.160
270	0.380
271	0.120
272	0.470
273	0.100
274	0.100
275	0.040
276	0.040
277	0.060
278	0.040
279	0.100
280	0.070
281	0.190
282	0.080
283	0.070
284	0.330
285	0.700
289	0.030
286	0.180
309/1	0.010
309/2	0.010
313	0.050
314	0.030
317	0.010
318	0.040
319	0.040
320	0.030
321	0.080
322	0.040
325	0.130
326	0.040
327	0.020
329	0.040
330	0.040
331	0.040
332	0.100
337	0.020
345	0.030
346	0.050
347	0.030
350	0.020
352	0.020
353	0.130
355/1	0.010
355/2	0.010
357	0.050
358/1	0.020
358/2	0.020
359/1	0.060
359/2	0.060
360	0.020
361	0.070
362	0.010
363	0.060
364	0.220

(1)	(2)
365/1	0.020
365/2	0.020
367	0.040
368/1	0.020
368/2	0.030
369/1	0.050
369/2	0.050
370	0.050
371	0.040
372	0.040
373	0.080
375	0.130
376	0.180
377/1	0.030
377/2	0.030
379	0.010
382/1	0.010
382/2	0.010
383/1	0.080
383/2	0.080
384/1	0.030
384/2	0.030
385/1	0.020
385/2	0.010
386/1	0.020
386/2	0.020
387	0.010
388	0.050
389	0.060
390	0.040
391	0.020
392	0.020
393	0.030
394	0.040
395/1	0.050
395/2	0.040
397/1	0.060
397/2	0.060
398	0.260
406	0.460
407/1	0.520
407/2	0.520
409	2.290
410	0.090
411	0.040
415	0.100
416/1	0.110
416/2	0.120
417	0.100
418	0.050
419	0.040
420	0.030
422	0.200
423	0.110
424	0.090
425	0.070
426	0.070
427	0.050
428	0.050
429	0.040
430	0.040
431	0.060
432	0.020
433	0.030
434	0.090
435	0.040
436	0.030
437	0.290
438	0.050
439	0.250
440	0.090
442	0.050
445	0.640
447/1	0.060
447/2	0.060
448/1	0.020
448/2	0.050
449/1	0.080
449/2	0.080
450/1	0.040
450/2	0.140
451/1	1.220
451/2	1.220
453	0.200
454	0.260
457	0.530
460	0.190
461	0.370
462/1	1.290

(1)	(2)	(1)	(2)
462/2	2.000	499/4	0.130
462/3	0.400	499/5	0.140
463/1	0.950	500	0.140
463/2	0.950	504/1	0.750
464/1	0.180	504/2	0.750
464/2	0.540	505	1.130
465/1	0.120	506	1.040
465/2	0.120	508	0.010
466	1.180	509	1.510
468/1	0.420	510	0.920
468/2	1.220	511	1.040
469	0.660	512	0.890
470	0.480	513	0.800
471	0.350	514	0.820
472	0.300	515/1	0.600
475	0.300	515/2	0.600
477/1	0.160	516	0.770
477/2	0.160	518	2.560
478/1	0.220	519/1	0.350
478/2	0.220	519/2	0.360
479	1.790	520	1.370
480/1	0.670	521/1	0.340
480/2	0.680	521/2	0.340
481	0.500	522/1	0.340
484/1	0.120	522/2	0.320
484/2	0.110	523/1	0.530
488	0.340	523/2	0.530
489	0.650	524	0.370
490/1	0.560	525	2.010
490/2	0.570	526	0.680
491/1	1.150	527	0.330
492/1	0.400	528	0.080
492/2	1.650	529/1	0.700
493	0.920	529/2	0.700
494/1	0.260	532/1	0.950
494/2	0.260	532/2	0.150
494/3	0.820	532/3	0.800
496	1.150	534/1	0.590
497/1	0.370	534/2	0.740
497/2	0.300	535	2.110
497/3	0.430	536/1	0.090
499/1	0.050	536/2	0.090
499/2	0.070	537	1.950
499/3	0.140	538	0.200

(1)	(2)
539	0.210
540	0.340
543	0.990
544	1.850
545/1	1.860
545/2	0.390
546	0.150
547	0.450
548	0.470
549/1	0.660
549/2	0.400
550	0.980
551	0.870
552/1	2.520
552/2	0.490
553	0.580
554	1.600
555	1.060
556	0.450
557/1	1.260
557/2	1.270
558/1	0.510
558/2	1.320
558/3	1.310
558/4	0.800
558/5	0.440
559/1	0.430
559/2	0.430
560/1	0.010
560/2	0.010
563/1	0.700
563/2	1.600
564	1.030
565	1.440
567	0.650
570	0.740
571	1.260
572	1.310
573/1	1.020
573/2	1.210
574	2.490
575	0.580
776	0.210
कुल योग . .	168.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के पगरा बांध निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म.प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क-10282-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 09-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 37 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) ग्राम—भेड़ाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.590 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
291	0.190
294	0.590
304	0.030
307	0.580
309/1	1.570
309/2	1.400
309/3	0.770
309/4	0.420
310	1.160
311	5.610
313	0.100
314	0.320
315	0.310
316	0.110

(1)	(2)
317	0.390
318	0.650
319	0.500
320	0.510
321	0.740
324	0.330
328	0.420
329	0.410
330/1	0.260
330/2	0.130
331	0.140
332	0.290
333	0.040
334	0.200
335	0.470
336	0.400
357	0.250
358	0.290
367	0.410
368/1	0.210
368/2	0.400
369	0.470
370	3.440
372	0.020
373	0.120
374	0.720
375	0.870
376	0.420
377	0.470
378	2.250
379	1.560
381	0.260
382	0.830
384	1.640
385	0.330
386	0.600
387	0.600
388	0.490
389	0.350
392	0.040
395	0.150
396	0.830
397	0.700
398	0.060
399	1.260
405	0.210
406	0.040
407	0.010
408	0.110
411	0.090
412	0.150
413	0.100
414	0.300
419	0.130
439	0.160
443	0.250
444	0.340
445	1.180
446/1	0.020
446/2	0.030
455	0.420
457/653	0.030
457/654	0.020
458/1	0.040
458/2	0.040
482/1	0.020
487	0.060
490	0.250
491	0.040
515	0.200
516	0.040
518/1	0.010
518/2	0.020
520	0.200
कुल योग . .	43.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10279-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 10-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 36 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—खजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.59 हेक्टर (निजी भूमि)

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
17	0.020
18	0.150
19	0.070
20	0.040
21	0.230
22	0.120
23	0.040
24	0.710
25	0.080
26	1.030
27	0.960
28	1.440
29	0.010
30	0.030
31/1	0.140
31/2	0.130
32	0.060
33	0.010
48	0.030
49	0.080
54/1	3.180
54/2	1.920
54/3	1.920
54/4	1.900
55	8.060
56	0.690
57	1.260
59	0.260
60/1	3.120
60/2	1.280
60/3	1.280
60/4	1.320
60/5	1.800
60/6	1.800
60/7	1.800
60/8	1.800
61	0.300
63	0.400
64	0.180
65	0.030
66	0.100
67	2.100
68	0.340
69/1	1.610
69/2	0.800
70	0.630
71	0.110
72	0.320
73	2.160
74	0.360
75	0.370
76	3.680
77	0.560
78	0.460
79	0.210
80	0.140
81	0.110
83	1.650
84	1.820
85	0.880
86	0.120
87	0.180
88/1	1.040
88/2	0.040
94	0.830
96	0.360
97	0.960
100	0.010
101	0.850
102	0.490
103	1.420
104	1.800
107	0.280
108/1	0.690
108/2	0.690
109	0.960
110	1.090
113	0.690
कुल योग . .	70.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10276-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 11-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 32 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—सांदागिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.810 हेक्टर (निजी भूमि)

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
153	0.180
154	0.400
155	0.010
156	0.090
161	0.030
162	0.030
186	0.100
189	0.060
190	0.140
191	0.120
193	0.040
197	0.070
198	0.790
199	0.030
273	0.100
274	0.120
275	0.310
276	0.200
277	1.440
283	0.020
286	0.020
289	0.410
290	0.280
291	0.030
293	0.070
294	0.030
296	1.220
297	0.450
298/1	1.110
298/2	1.120
299	1.400
301	0.100
302	0.060
303	0.090
304	0.060
305	1.280
307	0.470
309	1.390
310	1.040
311	0.310
312	0.330
313	1.220
314	0.660
315	0.680
316	0.590
317	0.440
318	0.700
319	0.520
320	1.710
321	0.050
323	0.400
324	0.070
325	0.520
326	0.440
327	0.780
328	0.180
329	1.350
332	1.470
333	0.430
334	0.600
335	0.660

(1)	(2)
336	0.080
337	0.030
460/2	0.050
460/3	0.050
460/4	0.050
460/5	0.050
460/6	0.050
460/7	0.030
460/8	0.110
460/9	0.070
460/10	0.050
460/11	0.150
460/12	0.120
460/13	0.300
462	0.480
463	0.450
469	0.300
470	0.190
480	1.340
481	0.650
482	0.610
483/1	1.440
483/2	0.400
484	1.710
486	0.180
487	0.180
489	0.200
490	0.390
491	0.690
492	1.320
493	0.220
494	0.260
495	0.820
496	0.130
497	0.100
498	0.130
499	0.180
500	0.050
501	0.820
502	0.150
503	0.130
504	0.090
505	0.210
506	0.200
507	0.150
508	0.090
510	0.670
511	0.400
512	1.690
513	0.500
513/1	0.490
513/2	0.500
514	0.250
515	0.260
516	0.370
517	0.280
518	0.510
519	0.450
520	0.290
521	0.260
522	0.260
523	0.280
524	0.090
525	0.090
527	0.110
528	0.200
529	0.010
530	0.660
531	0.330
532	0.250
533	0.990
534	0.210
535	0.240
536	0.700
कुल योग . .	55.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—कटहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.633 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1189/2/2	0.122
1210/2	0.278
182/1	0.216
1119	0.202
1212	0.112
1208/1	0.048
193	0.072
181	0.224
183	0.112
185	0.240
1209/1	0.173
1189/2/1	0.195
186	0.024
1120/2	0.643
1140/3	0.077
1144/1	0.010
121	0.044
122	0.010
120	0.072
126	0.216
1144/2	0.230
1189/1	0.025
119	0.288
योग . .	3.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—7.517 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.120
32/1	0.285
32/2	0.252
145	0.576
130 शा.नं. 142	0.090
29	0.096
30	0.216
71	0.220
105	0.148
31	0.206
138 शा.नं. 139	0.350
178/1 शा. नं. 179,180	0.336
143	0.427
177	0.360
52	0.182
68	0.345

(1)	(2)
181	0.283
173	0.166
103	0.201
106	0.045
49 शा.नं. 50	0.096
51	0.596
69 शा. नं. 70	0.269
72/1	0.068
75/2	0.317
141	0.293
144	0.350
146	0.010
170	0.480
171	0.134
योग . .	7.517

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम/नगर पंचायत—लवकुशनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—33.417 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
316/10	0.198
89/2	0.260
142/1/1	0.045
139	0.005
142/1/2	0.128
151/17	0.147
170/1	0.032
169/1	0.045
135/1/1	0.005
151/14	0.023
173/1	0.077
97	0.084
151/10	0.128
136/13	0.065
151/15	0.023
171	0.128
316/7	0.122
89/1	0.079
103/1	0.032
103/2	0.038
136/2/2/1	0.083
151/11	0.128
151/12	0.023
136/1/घ	0.070
143/2/3/2	0.269
169/2	0.038
170/2	0.032
135/3/2/2	0.088
142/2	0.115
138/5	0.173
105/1/1	0.110
136/9/2	0.058
151/16	0.024
151/13	0.023
136/8	0.096
105/1/2	0.063
106/2	0.083
316/3/1	0.173
172	0.128
135/3/2/1	0.088
136/3	0.250
316/2/5	0.192
136/14/1	0.122
143/2/1	0.314

(1)	(2)	(1)	(2)
95	0.179	3199/1	0.048
96/2	0.122	3199/3	0.077
99	0.020	3200/2	0.033
100	0.044	3200/3	0.035
101/2	0.147	3201/3	0.158
136/1ख	0.070	3207/3	0.032
174/1	0.154	3209	0.098
174/2	0.115	3211/1	0.025
316/9	0.192	3211/3	0.020
169/3	0.019	3212/1	0.110
170/3	0.026	3214/1	0.172
3166	0.230	3214/2	0.010
3211/2	0.005	3215/1	0.042
3886	0.012	3215/2	0.134
2921	0.245	3293	0.160
2922	0.048	3292/2	0.102
2888	0.259	3237/1	0.153
2889/3	0.048	3237/2	0.026
2881	0.180	3291	0.090
2892	0.182	3240	0.163
2893	0.648	3241	0.158
2880/2	0.005	3242	0.010
2900	0.070	3243/4	0.056
2901	0.202	3243/1	0.020
3167	0.040	3244	0.245
2994/2	0.058	3245	0.044
3004	0.303	3246	0.123
3005	0.015	3424/1	0.144
3010	0.170	3425	0.087
2923/1	0.202	3426/1	0.280
3015	0.028	3428/1	0.072
3014	0.080	3428/2	0.126
3012	0.285	3826/1	0.134
3011	0.210	3826/2	0.078
2992	0.044	3826/3	0.078
2993	0.053	3828	0.015
3172/1	0.144	3832	0.010
3172/2	0.040	3834	0.130
3165	0.130	3835	0.030
3173	0.158	3836/2	0.220
3174	0.043	3862	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
3863	0.130	1594	0.216
3865	0.010	1503	0.092
3868	0.298	1502	0.009
3867	0.190	1640	0.289
3869	0.015	1641	0.030
3883	0.140	1642	0.124
3884	0.096	1678	0.037
3887	0.230	1679	0.100
3900/1	0.020	1677	0.080
3900/2	0.328	1681	0.271
3902/1	0.201	1682	0.020
3903	0.098	1644	0.296
3904/1	0.005	1645	0.034
3909	0.125	1646	0.239
2994/1	0.010	1658	0.169
3002/1	0.010	1663	0.291
3000/3	0.005	1683	0.173
3967/2930	0.158	1684	0.136
3200/1/2	0.018	1693	0.252
509	0.004	1694	0.210
2090	0.012	2741	0.072
2038	0.005	1834	0.085
1586/8	0.008	1835/1	0.301
497	0.010	1588/1	0.214
499	0.029	2027	0.107
426/2	0.371	2006	0.052
428/4	0.004	2007	0.236
428/5	0.040	2005/1/1	0.084
427	0.252	2005/1/2	0.009
506	0.140	2005/2	0.042
507	0.391	2005/3	0.053
508	0.147	2026	0.009
511	0.063	2121/2	0.381
512	0.205	2118/2/2	0.170
583	0.322	2743	0.283
2215	0.218	2744	0.218
2216	0.066	2745/2746/1	0.489
1591/3974	0.186	2745/2746/2	0.048
1582/1/1	0.053	2753	0.463
1580/1/1/2	0.105	2777,2776,2777 (शा.नं.) 2776	0.460
1593	0.099		

(1)	(2)
2779	0.245
2780	0.163
2818	0.010
2819	0.184
2820	0.163
2821	0.048
2848/2	0.024
2809/1	0.280
2809/2	0.280
2850	0.008
2853	0.224
2854	0.170
2855	0.274
2864	0.021
3167	0.082
2869	0.178
2870	0.235
2896/1	0.168
2896/2	0.098
2895/1	0.127
2895/2	0.127
2899	0.015
1847	0.060
1848/1	0.084
1845	0.069
1836/1/1	0.005
1837	0.008
494/1	0.459
495/1	0.080
495/2	0.080
496/1	0.166
496/2	0.166
488/4/1	0.070
488/4/2	0.070
481/2+3	0.063
456/1	0.029
453/4	0.272
2224/2	0.008
2224/1	0.360
2225/3964	0.530
2116	0.140
2089	0.066
2088	0.104
2091	0.005
2084	0.045
2085	0.063
2075	0.015
2074	0.067
2073	0.051
2072	0.018
2071	0.053
2070	0.079
2069	0.048
2068/2	0.088
2023	0.080
2021	0.004
2029	0.030
2025	0.061
2028	0.061
2896/3	0.015
2898	0.203
2901	0.350
1587/1	0.130
1587/2	0.130
1581	0.247
1664/1/1	0.038
1680	0.176
2851	0.039
1471	0.045
2852	0.015
3243/3	0.010
1844	0.057
योग . .	33.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. C-8787-दो-3-75-2009.—श्री बी. एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 के एक दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 7 नवम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. C-9020-दो-2-20-06.—श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2012 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. A-2813-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ओ. एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2012 तक, दो दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 29 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6157-दो-2-09-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 से 1 नवम्बर 2012 तक चार दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. C-8567-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. D-6069-दो-2-80-2006.—श्री ए. एच. एस. पटेल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य

विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये अर्जित अवकाश की पात्रतानुसार उन्नीस दिवस को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6071-दो-2-29-2008.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 23 अक्टूबर 2010 से 22 अक्टूबर 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तेईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. D-6084-दो-2-60-2009.—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6086-दो-3-117-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 का एक दिन का ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2012 तक, दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6088-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6118-दो-2-51-2010.—श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 17 अगस्त 2010 से 18 अगस्त 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-8995-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. A-2803-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अक्टूबर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2805-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2807-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2809-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 24 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2811-दो-2-18-A-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2815-दो-2-20-2005.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2817-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2819-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2821-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. A-2823-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 सितम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6153-दो-2-21-2005.—श्री उल्लास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक, पाँच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6155-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पाँच दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक

ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D-6190-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 से 28 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. A-2865-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 13-12-2012 से दिनांक 20-12-2012 तक 8 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 17-12-2012 से दिनांक 22-12-2012 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2874-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 17 से 18 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2876-दो-2-19 ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-2878-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2891-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 27 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6242-दो-3-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6244-दो-2-05-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6255-दो-3-47-2003.—श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 9 दिसम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6257-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 से 9 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6259-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में

दिनांक 4 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. D-6261-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 19 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6263-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 3 से 12 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6265-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6267-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6269-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 7 अक्टूबर 2012 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश तथा दिनांक 8 अक्टूबर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6271-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. डी-5740-तीन-10-42-75 (ग्वालियर-भितरवार).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-1690-तीन-10-42-75 (ग्वालियर-भितरवार), दिनांक 22 जुलाई 2009 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, डबरा की श्रृंखला न्यायालय, भितरवार से है, को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है.

No. D-5740-III-10-42-75 (Gwalior-Bhitarwar).—High Court Notification No. C-1690-III-10-42-75 (Gwalior-Bhitarwar). dated 22nd July 2009, so far as it relates to holding of Link Court of Civil Judge Class-II Dabra to Bhitarwar, is hereby stands withdrawn.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. डी-6062-तीन-10-42-75 (देवास-कन्नौद).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-870, दिनांक 3 अप्रैल 2012 को माह दिसम्बर, 2012 में निलंबित करते हुए एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार भाटिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली को माह दिसम्बर, 2012 में श्रृंखला न्यायालय कन्नौद में की जाने वाली बैठकों एवं कार्य को निलंबित रखे जाने का निर्देश देता है.

No. D-6062-III-10-42-75 (Dewas-Kannod).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh suspends its Notification No. B/870, dated 3rd April 2012 for the month of December, 2012 and hereby directs Shri Anil Kumar Bhatiya, Addl. Distt. & Session Judge, Bagli to suspend sitting & work of Link Court, Kannod in the month of December 2012.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. C-8563-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8565-दो-3-130-2009.—श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 तथा 9 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. C-8723-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 20 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. C-8785-दो-2-16-2011.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छह दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. A-2759-दो-3-103-2008.—श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 तथा 15 अक्टूबर 2012 के तथा पश्चात् में दिनांक 20 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. D-6382-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 5 December 2012

No. A-2755-II-15-50-87-V.—Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sanghthan Vs. State of M.P. & others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redressal Authority for District Betul, Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government, Department's of Home No. 21-225-2011-B(1)-II, dated 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates Chairpersons of District Level Grievance Authority as under:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Retired District Judge/Additional District Judge (3)
1.	Betul	Shri Ankit Swami Naidu, Retd. District Judge, House No. 216 Ward No. 24 South Civil Lines, Chhindwara (M.P.) 480001 (Mob. No. 9407331112).
2.	Harda	Shri K. P. Tiwari, Retd. Additional District Judge, Labour Court Campus, Gulabra Ward, Chhindwara Ph. No. 07162-245815, Mob. No. 9425467351.
3.	Khandwa	Shri R. P. Solanki, Retd. Additional District Judge, HIG-2E, Mukhargee Nagar, Dewas (M.P.)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 1150-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास	देवास	जबलपुर	संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से श्री मनोहर ममतानी के स्थान पर.
2.	श्री मनोहर ममतानी, संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.	जबलपुर	देवास	जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्रहास सिरपुरकर के स्थान.
3.	श्री गजेन्द्र सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आष्टा, जिला सीहोर.	आष्टा	जबलपुर	संकाय सदस्य (Faculty Member) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

टिप्पणी.—(1) श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास, अपने नवीन पद संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से पदभार ग्रहण करेंगे. तत्पश्चात् वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करेंगे.

(2) श्री मनोहर ममतानी, संचालक न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर अपने वर्तमान पद से, श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, अपने नवीन पद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यभार मुक्त होंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 1152-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है, साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री दिनेश कुमार नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मुरैना.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री बृज किशोर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	छतरपुर	दमोह	दमोह	सिविल जिला, दमोह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से श्री जे. पी. महेश्वरी के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. 1063-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री सतीश चन्द्र शर्मा, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय क्रमांक 3, विद्युत् अधिनियम, 2003, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 364-स्था.सैट-2012.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 7 सितम्बर 2012 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुन: पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. क्योंकि अवकाश पर गयी है. अत: अवकाश अवधि दिनांक 3 सितम्बर 2012 से 7 सितम्बर 2012 को मूलभूत नियम 26(ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्र. 383-स्था.सैट-2012.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2012 तक कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुन: पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी है. अत: अवधि दिनांक 5 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 को मूलभूत नियम 26(ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा).

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 9321-दस-भू-अर्जन-2012 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	जैतहरी	24.749	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये कोयला आपूर्ति हेतु रेल्वे लाइन एवं साइडिंग निर्माण हेतु.
		योग . .	24.749		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9322-दस-भू-अर्जन-2012 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	गुंवारी	0.581	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये ऐश पाइप लाइन निर्माण हेतु.
		अमगवां	2.756		
		योग . .	3.337		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9323-दस-भू-अर्जन-2012 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	क्योंटार	67.170	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये जल आपूर्ति हेतु सोन नदी पर बराज निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.
		चोलना	1.320		
		कुकुरगोड़ा	1.214		
		रोहिलाकछार	26.757		
		कुसुमहाई	20.717		
	अपूपपुर	धुरवासिन	51.987		
		कोटमी	2.830		
		पड़ौर	7.313		
		योग . .	179.308		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी/अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ-1-4-12-रा.स.यू.ए.1-1920.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्रमांक 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, एतद्द्वारा डॉ. पियूष त्रिवेदी, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-4 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.